वर्ष : 24 अंक : 1 (85वाँ अंक) जनवरी-मार्च, 2019

विचार

नागरिक गाईड

सार्वजनिक योजनाओं की प्राप्ति हेतु राजस्थान सरकार के डिजिटल पोर्टल उपयोग के सरल तरीके

सार्वजनिक योजनाओं की प्राप्ति हेतु राजस्थान सरकार के डिजिटल पोर्टल उपयोग पर

विशेषांक

यूरोपियन युनियन

उन्नति
UNNATI

इस अंक के बारे में

राजस्थान सरकार का ई-गवर्नेन्स रोडमैप के तहत यह विचार है कि कॉमन सर्विस सेन्टर (राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्रों) तथा ई-मित्रों के मार्फत ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक सेवाएं व सरकारी योजनाएं नागरिकों के द्वार तक पहुंचे। ये वेब सक्षमता वाले फ्रंट एण्ड वितरण प्रणाली सभी 'सरकार से नागरिक' सेवाओं के संदर्भ में नागरिकों के लिए पहुंच बिंदु का कार्य करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के नेतृत्व व पहल से सभी विभागों का डिजिटलीकरण हुआ। राजस्थान सरकार की एकीकृत शिकायत निवारण व्यवस्था 'राजस्थान सम्पर्क' भी मजबूत की गई। नागरिक किसी भी विभाग, सेवा अथवा योजना से संबधित अपनी शिकायत, अलग-अलग सुविधाजनक माध्यमों का उपयोग कर, सरकार के समक्ष दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाने के लिए नागरिक 181 निःशुल्क फोन नम्बर, जन सुनवाईयां अथवा राजस्थान सर्म्पक पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने पर व्यक्ति निवारण की स्थिति अथवा निवारण के लिए की गई कार्यवाही देख सकता है। शिकायत का संतोषजनक निवारण सरकार की जिम्मेदारी है। नागरिक सेवाओं अथवा योजनाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ई-मित्र की मध्यस्थता के बिना भी कर सकें, इसलिए सिंगल साइन ऑन (SSO) आईडी, ई-मित्र प्लस व मेरा एप जैसे कई प्रयास हुए हैं।

ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हो पाएं, इस हेतु विभागीय वेब साइट व पोर्टल पर भी कार्य हुए। आम नागरिक के लिए कौन सी सूचनाएं उपयोगी हैं तथा उन्हें किस प्रकार से दर्शाना लोगों के लिए सुविधाजनक रहेगा, इस बात को जानने समझने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं/संगठनों तथा सरकार के बीच कई संवाद हुए। इस अनुपम प्रयास में 'सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान' के नेतृत्व में राजस्थान के विभिन्न भागों से अलग-अलग मुददों पर कार्य करने वाली संस्थाएं जुडीं। युरोपियन युनियन के सहयोग से बाड़मेर जिले में सामाजिक सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण सेवाओं की पहुंच बढाने के लिए कार्यरत उन्नति-विकास शिक्षण संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इन महत्वपूर्ण योजनाओं को लोगों तक असरकारक रूप से पहुंचाने के प्रयासों से हम यह समझ पाए हैं कि जानकारी का अभाव ही लाभ लेने में एक मात्र रुकावट नहीं है। आवेदन करने व लाभ लेने के चरणों के बीच एक व्यक्ति को सत्यापन और मंजूरी से पूर्व कदम-कदम पर अपनी योग्यता सिध्द करनी पडती है। इस वक्त उसे उसकी अपनी जरूरत के हिसाब से दिशा व सलाह की जरूरत होती है। यह सुविधा लोगों को ब्लॉक स्तर पर उन्नति द्वारा चलाए जा रहे 'सूचना क्लिनिक' पर मिली। जिस प्रकार क्लिनिक पर डॉक्टर मरीज की जांच कर उसे सलाह या ईलाज देता है, 'सूचना क्लिनिक' पर लोगों को उनकी विशिष्ट समस्या का ईलाज दिया जाता था। दुखी या चिन्तित चेहरे लेकर आया व्यक्ति, जब सूचना क्लिनिक से बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पर संतोष के भाव अवश्य होते।

कई बार सूचनाओं की कमी से पात्र व्यक्ति को पता नहीं होता कि उसे लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए राजस्थान की पालनहार योजना जो अन्य लक्षित समूहों के साथ-साथ विधवा व दिव्यांग व्यक्तियों के बच्चों के पालन-पोषण में सहायक है, परंतु इन श्रेणियों के पेंशन पाने वालों के 30 प्रतिशत परिवारों को ही लाभ मिल रहा है। साथ ही गांवों के कई परिवार अनेक कारणों से खाद्य सुरक्षा में मिल सकने वाला सस्ता राशन नहीं ले पा रहे है और उनका नाम सरकार

की 'अबेयंश सूची' में है। इन स्थितियों में पात्र व्यक्तियों/परिवारों को उनके लिए अधिकृत योजना से जुडवाना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। लाभ की सुनिश्चितता के लिए दो अन्य बातें जरूरी हैं:

1. पात्रता की सुनिश्चितता पहले की जाय, तब ही आवेदन अथवा अपील की कार्यवाही हो;
2. लाभ की सुनिश्चितता तक आवेदन पर नजर रखी जाय और जब-जब जरूरत पडे, उस पर उचित कार्यवाही हो।

इस कार्य में सरकार द्वारा विभागीय वेबसाइट व पोर्टल पर रखी सूचनाएं अत्यंत उपयोगी होती हैं व आगे का मार्ग निकालने में मदद करती हैं। जब हम परियोजना समाप्ति के नजदीक पहुंचे, तो विचार हुआ कि एक गरीब नागरिक को 'सूचना क्लिनिक' जैसी विशिष्ट व महत्वपूर्ण सेवा, सरकारी व्यवस्था में ही उपलब्ध होनी चाहिए।

राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र जो योजनाओं के आवेदन करवाने में एक स्तर की भूमिका निभा ही रहे हैं, वे यह कार्य अत्यंत कुशल एवं असरकारक तरीके से करने में सक्षम होंगे। इस भूमिका को निभाने के लिए योजनाओं व लोगों की वास्तविक समस्याओं पर थोड़ी गहरी समझ बनानी होगी। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आग्रह पर 'उन्नति' ने बाडमेर जिले की 17 पंचायत समितियों के सभी राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्रों के संचालकों के प्रशिक्षण का बीड़ा उठाया और इस डिजिटल मार्गदर्शिका की उत्पत्ति हुई।

इस मार्गदर्शिका में अत्यंत सरल तरीके से प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, उन्हें प्राप्त करने में आने वाली समस्याएं तथा समाधान के तरीके समाहित किए गए हैं। यह मार्गदर्शिका इसलिए भी अनूठी है क्योंकि पहली बार स्क्रीन शॉट्स के माध्यम से ऑनलाइन सूचनाओं को कैसे देखें व उपयोग करें यह चरणवार बताया गया है। आशा है कि यह मार्गदर्शिका न केवल ई-मित्र कियोस्क संचालकों, बल्कि किसी भी नागरिक के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ■

अनुक्रम

इस अंक के बारे में **2**

- 1. कॉमन सर्विस सेन्टर संचालको की भूमिका **6**
- 2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन **7**
  वृध्दावस्था पेंशन, विधवा एवं दिव्यांगता पेंशन
  स्क्रीन शॉट 1 : सामाजिक सुरक्षा पेंशन का होम पेज
  स्क्रीन शॉट 2 से 4 : पेंशन के लिए पात्रता की जांच
  स्क्रीन शॉट 5 व 6 : पेंशन स्विकृति या अस्विकृति की स्थिति की जांच
  स्क्रीन शॉट 7 से 12 : बिना पीपीओ पेंशन रुकने की स्थिति जानना
  स्क्रीन शॉटः 13 व 14 : पीपीओ से पेंशन रुकने की स्थिति जानना
  स्क्रीन शॉटः 15 से 29 : दिव्यांग प्रमाण-पत्र के लिए पंजीकरण
- 3. पालनहार योजना **21**
  स्क्रीन शॉट 30 : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का होम पेज
  स्क्रीन शॉट 31 व 32 : किश्तों के भुगतान का लेजर (विस्तृत विवरण)
- 4. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना **23**
- 5. खाद्य सुरक्षा योजना **24**
  स्क्रीन शॉट 33 : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का होम पेज
  स्क्रीन शॉट 34 से 43 : सूची में नाम होने पर भी सामग्री नहीं मिलने (अबेयंस) की जांच
  स्क्रीन शॉट 44 व 45 : ली गई सामग्री का लेजर (विस्तृत विवरण)
- 6. महात्मा गांधी नरेगा **30**
  स्क्रीन शॉट 46 : महात्मा गांधी नरेगा का होम पेज
  स्क्रीन शॉट 47 से 52 : मजदूरी के भुगतान की स्पष्टता
- 7. निर्माण एवं असंगठित श्रेत्र के श्रमिकों (हिताधिकारी में पंजीकृत) से सम्बन्धित योजनाएं **34**
  छात्रवृत्ति, प्रसूति लाभ, शुभशक्ति, दुर्घटना बीमा, पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा
  स्क्रीन शॉट 53 से 56 : एसएसओ आईडी बनाने का तरीका
  स्क्रीन शॉट 57 से 59 : हिताधिकारी में रजिस्ट्रेशन का तरीका

■ 8. मातृत्व सम्बन्धी प्रमुख योजनाएं **40**

जननी शिशु सुरक्षा योजना
प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना
मुख्य मंत्री राजश्री योजना

■ 9. प्रधान मंत्री आवास योजना **41**

स्क्रीन शॉट 60 से 62 : किश्तों के भुगतान एवं महात्मा गांधी नरेगा में मजदूरी की सूचनाएं

■ 10. राजस्थान संपर्क **44**

स्क्रीन शॉट 63 व 64 : होम पेज पर जाने का तरीका एवं होम पेज
स्क्रीन शॉट 65 व 66 : शिकायत दर्ज करने का तरीका
स्क्रीन शॉट 67 से 69 : शिकायत की स्थिति देखने/समझने का तरीका

■ 11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 **48**

आवेदन पत्र का प्रारूप, प्रथम/द्वितीय अपील का प्रारूप
स्क्रीन शॉट 70 : आवेदन पत्र भरने के निर्देश
स्क्रीन शॉट 71 व 72 : ऑनलाईन आवेदन करने का तरीका

1. कॉमन सर्विस सेन्टर संचालकों की भूमिका

डिजिटाइजेशन, साथ ही इण्टरनेट तथा मोबाईल की अत्यधिक पहुंच के कारण 'सरकार से नागरिक' (G 2 C) सेवाएं नागरिकों तक पहुंचाना आसान हुआ है। राजस्थान में 350 से अधिक योजनाएं कॉमन सर्विस सेन्टर/ई-मित्रों के मार्फत दी जा रही हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य था कि एक आम नागरिक को, गरीब को उसके घर से नजदीक सटीक सूचनाएं मिल सकें और उनके लाभ की सुनिश्चितता हो सके। परंतु वर्तमान में आवेदन तो हो रहे हैं, लाभ की सुनिश्चितता नहीं हो पा रही है। इसके लिए कॉमन सर्विस सेन्टर संचालकों को अपनी भूमिकाओं को बढाना होगा। नीचे बताई गई भूमिकाएं महत्वपूर्ण है :

1 योग्य लाभार्थियों की पहचान - पात्रता की जानकारी देकर लाभार्थी की पहचान करना
2 योग्यता की जांच करने के बाद ही लाभ के लिए आवेदन या अपील करवाना
3 जितनी जरूरत हो, उतने ही सहायक दस्तावेज जुडवाएं, गलत या अधूरी जानकारियां न छोडें
4 करवाए गए आवेदनों का सत्यापन, स्वीकृति और फिर लाभ मिलने तक जरूर ध्यान रखें तथा जरूरत पड़ने पर उचित कार्यवाही करें। साथ ही लाभ की नियमितता व वार्षिक सत्यापन का भी ध्यान रखें
5 शिकायत दर्ज करने और उसके समाधान में भी लोगों की मदद करें। शिकायत को सकारात्मक दृष्टि से देखें। इससे सरकार को लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है और व्यवस्था में सुधार के प्रयास भी हो पाते हैं।
6 लोगों को स्पष्ट व सटीक सूचना दें। खासकर, हर किसी को यह जरूर बताएं कि बैंक खाता एक ही रखें, हर तीन महिनों में कम से कम एक बार लेन-देन जरूर करें, अपने बैंक खाते को आधार और अपने मोबाईल से जरूर लिंक करवाएं, अन्यथा लाभ हस्तान्तरण में समस्याएं आती रहेगी।

आवेदन के अलावा इन भूमिकाओं के उचित निर्वहन से कॉमन सर्विस सेन्टर का न सिर्फ बिजनेस बढेगा, उनकी अच्छी छवि भी बनेगी और लोग लाभ की सुनिश्चितता के लिए उनके पास आना चाहेंगे। ■

2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन

वृध्दावस्था पेंशन

योग्यताः महिला 55 वर्ष, पुरूष 58 वर्ष; स्वयं की वार्षिक आय रू. 48 हजार से कम
दस्तावेजः भामाशाह, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक
लाभः मार्च 2019 से 75 वर्ष तक रू. 750, 75 वर्ष के बाद रू. 1,000 प्रति माह

विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता पेंशन

योग्यताः 18 वर्ष से अधिक आयु वाली विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला; स्वयं की वार्षिक आय रू. 48 हजार से कम
दस्तावेजः आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता पासबुक, विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, तलाकशुदा को न्यायालय का आदेश या लंबितता संबंधी कागजात, परित्यक्ता के लिए विवाह विच्छेद डिक्री, न्यायालय का आदेश या इससे संबंधित मामला पांच साल से अधिक समय से न्यायालय में लंबित होने के कागजात
लाभः 55 वर्ष तक रू. 500, 55 से अधिक व 60 वर्ष तक रू. 750, 60 वर्ष से अधिक व 75 वर्ष तक रू. 1,000, 75 वर्ष से अधिक आयु पर रू. 1,500 प्रति माह

दिव्यांग पेंशन

योग्यताः किसी भी उम्र का दिव्यांग व्यक्ति, स्वयं की वार्षिक आय रू. 60 हजार से कम
दस्तावेजः आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक, 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र
लाभः रू. 750 प्रति माह

आगे तीनों प्रकार की पेंशन संबंधी एक जैसे मुद्दों को हल करने के ऑनलाईन तथा ऑफलाईन प्रयासों पर जानकारी संकलित की गई है जो लाभ लेने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए स्वयं लाभार्थी तथा किसी भी नागरिक द्वारा की जा सकती है।

समस्याओं के समाधान के लिए वेब पोर्टल का उपयोग

पात्रता पूरी होने के बावजूद भी पेंशन नहीं मिल रही है, भामाशाह, आधार कार्ड जैसे पहचान पत्रों में नाम व आयु अलग-अलग है, आवेदन के 45 दिन बाद भी स्वीकृति या अस्विकृति की सूचना नहीं मिली है, पेंशन मिलते-मिलते रूक गई है, भौतिक सत्यापन में बायोमैट्रिक मशीन से रीड नहीं हो रही है, पति का देहान्त हो जाने के बाद वृध्दावस्था पेंशन विधवा पेंशन में नहीं बदली है, 18 साल से कम उम्र के दिव्यांग बच्चे को पेंशन नहीं मिल रही है या निःशक्तता प्रमाण-पत्र नहीं है, इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए rajssp.raj.in वेब पोर्टल का उपयोग करें, इसकी जानकारी चरणवार यहां आगे दी जा रही है।

1. योग्यता के बावजूद वंचितता

भामाशाह नंबर से rajssp.nic.in पर योग्यता चैक करें। योग्य होने पर आवेदन करें।

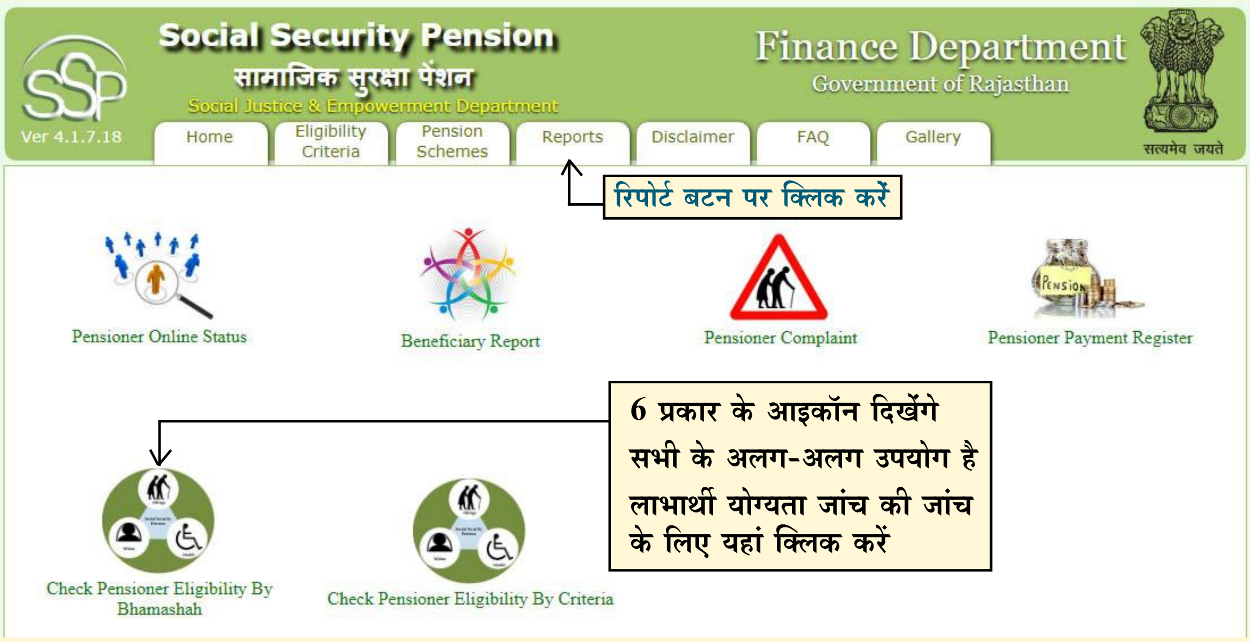

स्क्रीन शॉट 1

'चैक पेंशनर ऐलिजीबिलिटी बाइ भामाशाह' पर क्लिक करने से नया विडों खुलेगा।

स्क्रीन शॉट 2

स्क्रीन शॉट 3

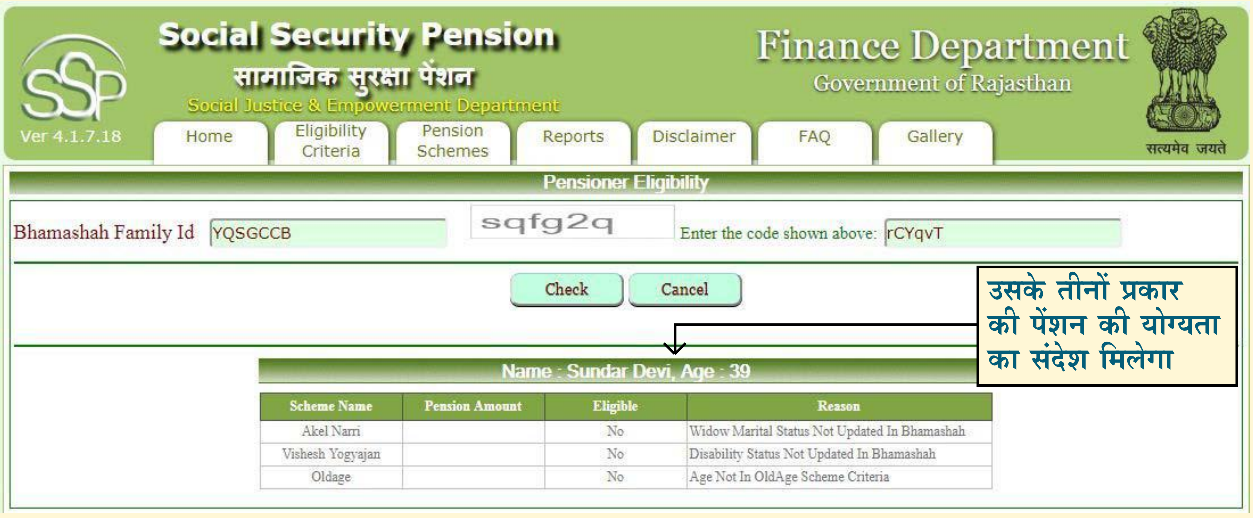

स्क्रीन शॉट 4

2. भामाशाह, आधार कार्ड में लाभार्थी का नाम व आयु अलग-अलग हैं

आधारकार्ड, भामाशाह में नाम व आयु चैक करें। सही करने के लिए ऑनलाईन ई-मित्र पर आवेदन करें। 15 दिन बाद पुनः ऑनलाइन स्थिति देखें एवं अपडेट हो जाने पर लाभार्थी को सूचना करके, आवेदन करें।

3. आवेदन के 45 दिन बाद स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की सूचना नहीं

Rajssp.raj.nic.in खोलें। रिपोर्ट बटन दबाएं। पहले आइकॉन 'पेंशनर ऑनलाइन स्टेटस' पर क्लिक करें।

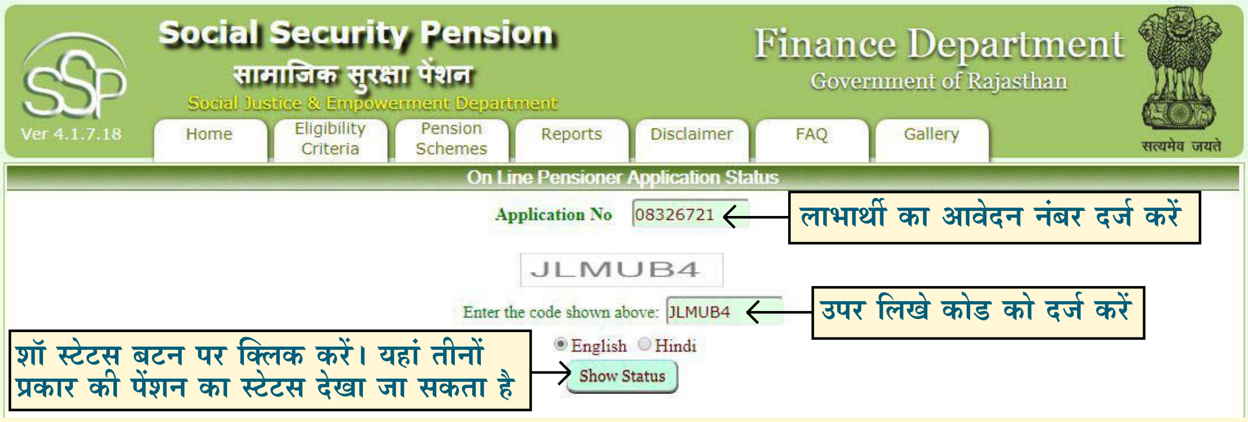

स्क्रीन शॉट 5

लाभार्थी का विवरण इस प्रकार दिखेगा

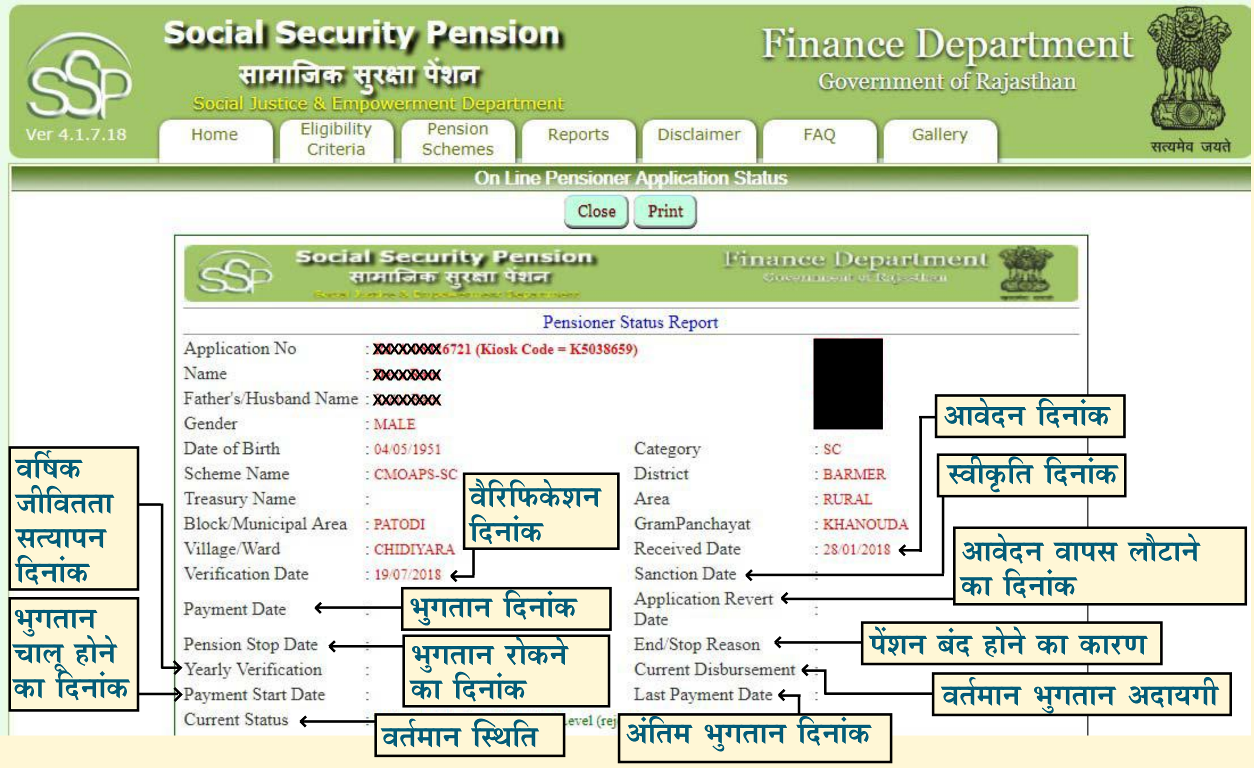

स्क्रीन शॉट 6

लाभार्थी के आवेदन का पूरा विवरण दिखेगा। आवेदन दिनांक, जांच अधिकारी द्वारा वैरिफिकेशन दिनांक, स्वीकृति दिनांक, भुगतान दिनांक, भुगतान रोकने का दिनांक, वार्षिक जीवितता सत्यापन दिनांक, पुनः भुगतान चालू होने का दिनांक, रोके जाने का कारण, अंतिम भुगतान दिनांक एवं आवेदन का वर्तमान स्टेटस का संदेश लाल रंग के अक्षरों में दिखेगा। खाली स्थान है, इसका अर्थ है, उस स्तर पर आवेदन रूका हुआ है। स्टेटस का प्रिंट लेकर जांच अधिकारी के पास रूका हुआ है, तो तहसीलदार व स्वीकृति स्तर पर रुका है, तो विकास अधिकारी को प्रर्थना पत्र देकर अवगत कराना चाहिए। करंट स्टेटस में आवेदन की वर्तमान स्थिति हरे रंग के अक्षरों में दिखेगी।

पेंशन स्वीकृत हो चुकी है, तो सैंक्शन बिंदु के सामने दिनांक लिखी होगी।

इस विंडो में पेंशन भुगतान रोके जाने, वार्षिक जीवितता सत्यापन दिनांक, रोके जाने का कारण, पुनः चालू किए जाने की दिनांक का विवरण दिखेगा। भुगतान रुका हुआ है तो लाभार्थी उचित कार्यवाही कर सकेगा।

4. पेंशन रूक गई है।

वार्षिक जीवितता भौतिक सत्यापन नहीं होना पेंशन बंद होने का प्रमुख कारण है। rajssp पोर्टल पर 'पेंशनर ऑनलाइन स्टेटस' से बंद होने का पता लगाएं।

यदि लाभार्थी के पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नम्बर नहीं है, तो नीचे दिखाई गई प्रक्रिया करें।

Beneficiary Report

रिपोर्ट पेज पर 'बेनीफीशरी रिपोर्ट' पर पर क्लिक करे

जिला चुनें

Rajasthan Social Security Benificiary Abstract At a Glance (District Wise)

		State Scheme													Center Scheme								
		Oldage Pension				Akel Narri Pension				Vishesh Yogyajan Pension					Oldage Pension				Widow Pension				D
Sr.No.	District	GEN	SC	ST	Total	GEN	SC	ST	Total	GEN	SC	ST	Total	State Total	GEN	SC	ST	Total	GEN	SC	ST	Total	GEN
1	AJMER	1,24,183	24,195	4,422	1,52,800	56,447	13,193	2,319	71,959	14,356	3,283	544	18,183	2,42,942	9,266	2,309	713	12,288	6,282	1,516	301	8,099	230
2	ALWAR	1,92,028	36,685	16,027	2,44,740	51,265	12,764	4,493	68,522	17,295	3,551	1,389	22,235	3,35,497	14,977	4,884	1,811	21,672	6,992	2,364	762	10,118	588
3	BANSWARA	23,419	2,887	60,771	87,077	8,902	1,652	25,803	36,357	2,480	468	6,584	9,532	1,32,966	3,504	1,498	45,418	50,420	1,790	627	17,133	19,550	82
4	BARAN	37,324	11,916	12,117	61,357	10,749	3,879	4,214	18,842	5,167	2,103	1,627	8,897	89,096	10,242	6,157	5,856	22,255	3,558	2,275	2,025	7,858	841
5	BARMER	1,15,419	19,383	7,270	1,42,072	25,414	5,040	1,945	32,399	10,061	1,899	694	12,654	1,87,125	26,803	6,332	2,560	35,695	9,815	2,542	1,037	13,394	815

स्क्रीन शॉट 7

अरबन या रूरल क्षेत्र चुनें

Rajasthan Social Security Benificiary Abstract At a Glance (As Per District)

		State Scheme													Center Scheme												
		Oldage Pension				Akel Narri Pension				Vishesh Yogyajan Pension					Oldage Pension				Widow Pension				Disable Pension				
District	Area	GEN	SC	ST	Total	GEN	SC	ST	Total	GEN	SC	ST	Total	State Total	GEN	SC	ST	Total	GEN	SC	ST	Total	GEN	ST	ST	Total	
BARMER		1,15,419	19,383	7,270	1,42,072	25,414	5,040	1,945	32,399	10,061	1,899	694	12,654	1,87,125	26,803	6,332	2,560	35,695	9,815	2,542	1,037	13,394	815	191	72	1,07	
	Rural	1,12,012	18,678	7,185	1,37,875	23,545	4,504	1,886	29,935	9,607	1,782	675	12,064	1,79,874	26,206	6,113	2,500	34,819	9,368	2,348	996	12,712	787	181	71	1,03	
	Urban	3,407	705	85	4,197	1,869	536	59	2,464	454	117	19	590	7,251	597	219	60	876	447	194	41	682	28	10	1	3	

स्क्रीन शॉट 8

पंचायत समिति/ब्लॉक चुनें

Benificiary Abstract

District : BARMER

		State Scheme													Center Scheme											
		Oldage Pension				Akel Narri Pension				Vishesh Yogyajan Pension					Oldage Pension				Widow Pension				Disable Pension			
1	BALOTRA	4,647	767	545	5,959	1,434	327	208	1,969	456	83	78	617	8,545	1,141	410	353	1,904	739	231	165	1,135	71	20	12	1
2	BARMER	12,226	1,765	620	14,611	2,677	409	141	3,227	1,037	153	69	1,259	19,097	3,573	863	264	4,700	1,380	329	98	1,807	91	11	6	1
3	BAYTOO	7,962	1,049	111	9,122	1,234	147	17	1,398	603	86	18	707	11,227	2,495	208	26	2,729	801	67	23	891	48	2	2	

स्क्रीन शॉट 9

ग्राम पंचायत चुनें

Benificiary Abstract

District : BARMER

Block : PATODI

(Grampanchayat Wise)

		State Scheme													Center Scheme											
		Oldage Pension				Akel Narri Pension				Vishesh Yogyajan Pension					Oldage Pension				Widow Pension				Disable Pension			
Sr.No.	Grampanchayat	GEN	SC	ST	Total	GEN	SC	ST	Total	GEN	SC	ST	Total	State Total	GEN	SC	ST	Total	GEN	SC	ST	Total	GEN	SC	ST	Total
1	BADNAWA JAGEER	191	10	3	204	48	3	0	51	20	2	0	22	277	85	19	0	104	45	11	2	58	1	0	0	1
2	BAGAWAS	284	37	52	373	82	16	14	112	16	2	10	28	513	42	6	14	62	32	9	6	47	1	1	1	3
3	BANIYAWAS	145	14	6	165	56	8	8	72	10	2	1	13	250	23	3	0	26	19	10	3	32	2	1	0	3

स्क्रीन शॉट 10

सेव के बटन पर क्लिक करके सूची को एक्सल शीट या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं

गांव के नाम या नीले रंग में दिखाई गई लाभार्थी संख्या पर क्लिक करने से लाभार्थी सूची पूरे विवरण के साथ खुलेगी

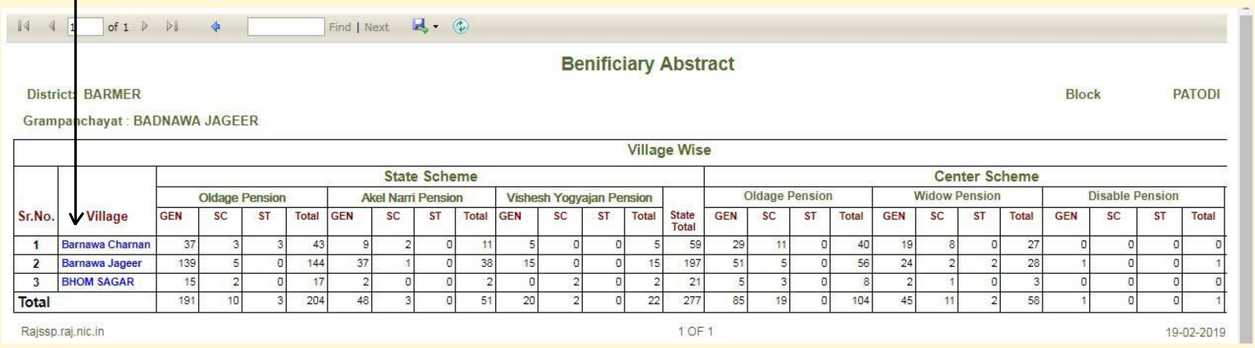

Benificiary Abstract

District: BARMER   Block PATODI

Grampanchayat : BADNAWA JAGEER

Village Wise

Sr.No.	Village	State Scheme: Oldage Pension GEN	SC	ST	Total	Akel Narri Pension GEN	SC	ST	Total	Vishesh Yogyajan Pension GEN	SC	ST	Total	State Total
1	Barnawa Charnan	37	3	3	43	9	2	0	11	5	0	0	5	59
2	Barnawa Jageer	139	5	0	144	37	1	0	38	15	0	0	15	197
3	BHOM SAGAR	15	2	0	17	2	0	0	2	0	2	0	2	21
Total		191	10	3	204	48	3	0	51	20	2	0	22	277

Sr.No.	Village	Center Scheme: Oldage Pension GEN	SC	ST	Total	Widow Pension GEN	SC	ST	Total	Disable Pension GEN	SC	ST	Total
1	Barnawa Charnan	29	11	0	40	19	8	0	27	0	0	0	0
2	Barnawa Jageer	51	5	0	56	24	2	2	28	1	0	0	1
3	BHOM SAGAR	5	3	0	8	2	1	0	3	0	0	0	0
Total		85	19	0	104	45	11	2	58	1	0	0	1

Rajssp.raj.nic.in   1 OF 1   19-02-2019

स्क्रीन शॉट 11

5. भौतिक सत्यापन के दौरान लाभार्थी के फींगर बयोमैट्रिक मशीन द्वारा रीड नहीं होती है।

लाभार्थी ग्राम पंचायत से जीवितता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके ऑन लाइन सत्यापन करवा सकते हैं।

जीवितता प्रमाण-पत्र का प्रारूप

ग्राम पंचायत   पंचायत समिति

क्रमांक   दिनांक

जीवितता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पैंशनर... पैंशन पेमेन्ट ऑर्डर नंबर .... आज दिनांक .... को जीवित है अत पैंशन भुगतान को निरंतर चालू रखा जाए। बायोमेट्रिक सत्यापन में पैंशनर के फींगर चिन्ह की पहचान नहीं होने के लिए यह जीवितता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर पैंशनर

हस्ताक्षर व मुहर

सरपंच

नाम

6. **लंबे समय से पेंशन का भुगतान रूका हुआ है या बीच में कुछ महीनों की पेंशन नहीं मिली।**

rajssp portal पर ऑनलाईन स्थिति चैक करें। बैंक खाते में भुगतान जमा होने में यदि कोई समस्या रही है जैसे गलत खाता चढ जाना इत्यादि, तो उसकी स्पष्ट जानकारी 'पेंशनर पेमेन्ट रजिस्टर से मिलेगी जिसमें लाभार्थी का भुगतान का विवरण महीने वार होता है।

पेंशनर पेमेंट रजिस्टर आइकॉन क्लिक करें →

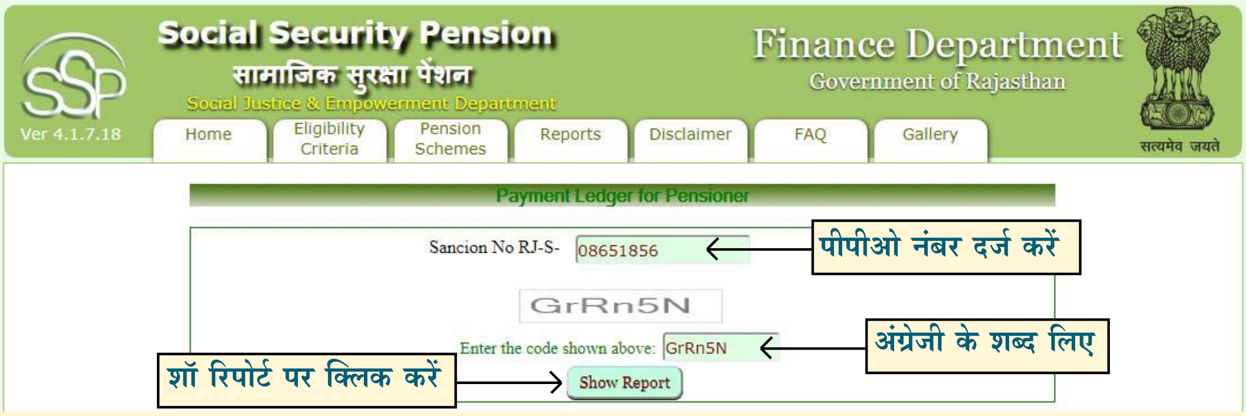

स्क्रीन शॉट 12

Payment Ledger for Financial Year -1

Pensioner Name : XXXXXX | Father Name : XXXXXXXXX | Scheme Name : CMWPS

Sanction No./OLDPPONo. : RJ-S-08651856 / RJ-S-08651856 | Sanction Date : 26/06/2018 | Treasury Name : PACHPADRA

Current Bank/Postoffice Branch Name (IFSC) : STATE BANK OF INDIA-PATODI (SBIN0031460) | Current Account No. : XXXXXXXXX32

Current Status : Regular Pensioner | Current Disbursment : BANK ACCOUNT

District/Block/GramPanchyat/Village Name : BARMER / PATODI / CHILANADI / Suraj Bera

ऑनलाईन भुगतान

Payment Month	Payment Processed	State Share Bill No.-Date Center Share Bill No.-Date	State Share Center Share Payment Date	Disbursement Mode	Account No.	Bank/PO Branch Name (IFSC)	Retrun Date Return Reason	State Share	Center Share	Amount	Recovery Amount
June-2018	29/06/2018	258 -18/05/2018	06/07/2018	BANK ACCOUNT	XXXXXXXXX32	STATE BANK OF INDIA-PATODI (SBIN0031460)		500	0	500	0
July-2018	27/07/2018	450 -27/07/2018	29/08/2018	BANK ACCOUNT	XXXXXXXXX32	STATE BANK OF INDIA-PATODI (SBIN0031460)		500	0	500	0
August-2018	27/08/2018	501 -27/08/2018	12/09/2018	BANK ACCOUNT	XXXXXXXXX32	STATE BANK OF INDIA-PATODI (SBIN0031460)		500	0	500	0
September-2018	25/09/2018	576 -31/08/2018	06/10/2018	BANK ACCOUNT	XXXXXXXXX32	STATE BANK OF INDIA-PATODI (SBIN0031460)		500	0	500	0
October-2018	28/10/2018	639 -26/10/2018	01/11/2018	BANK ACCOUNT	XXXXXXXXX32	STATE BANK OF INDIA-PATODI (SBIN0031460)		500	0	500	0
November-2018	30/11/2018	706 -30/11/2018	05/12/2018	BANK ACCOUNT	XXXXXXXXX32	STATE BANK OF INDIA-PATODI (SBIN0031460)		500	0	500	0
December-2018	21/12/2018	759 -21/12/2018	11/02/2019	BANK ACCOUNT	XXXXXXXXX32	STATE BANK OF INDIA-PATODI (SBIN0031460)		500	0	500	0
January-2019	27/01/2019	821 -25/01/2019	11/02/2019	BANK ACCOUNT	XXXXXXXXX32	STATE BANK OF INDIA-PATODI (SBIN0031460)		500	0	500	0
							Total Paid Amount	4000	0	4000	

rajssp.raj.nic.in 19/02/2019 05:03:48 1 of 1

स्क्रीन शॉट 13

पीपीओ की फोटो प्रति सलंग्न कर संबंधित विकास अधिकारी को पेंशन चालू कराने के लिए प्रार्थना-पत्र लिखना।
पीपीओ स्केन कर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाना।

पेंशन भुगतान लेजर का विवरण कार्यवाही के लिए दिशा एवं साक्ष्य के तौर पर दस्तावेज सलंग्न किया जा सकता है।

7. वृध्दावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा था। पति का देहांत हो जाने पर विधवा पेंशन की योग्यता हो गई। भामाशाह पंजीयन में विधवा का स्टेटस दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें वृध्दावस्था का लाभ ही मिल रहा है।

अपने भामाशाह पंजीयन में पति का मृत्यु प्रमाणपत्र ई-मित्र से ऑनलाइन अपडेट करें। पति की मृत्यु को ज्यादा समय हो गया हो, प्रमाणपत्र नहीं बना हो, गुम हो गया हो तो प्रमाण पत्र बनाने के लिए एसडीएम को एफिडेविड पेश करें। एसडीएम ग्राम पंचायत को मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने का निर्देश देंगे। मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाएं, भामाशाह में अपडेट कराएं।

8. योग्यता की जानकारी नहीं होने के कारण 18 साल से कम उम्र के दिव्यांग बच्चे पेंशन से वंचित हैं।

सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति का अधिकार है। दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनवाएं एवं पेंशन के लिए आवेदन करें। दिव्यांग पेंशन किसी भी उम्र के व्यक्ति की हो सकती है।

9. दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र नहीं है।

दिव्यांग व्यक्ति ई-मित्र पर अपना पंजीयन कराएं। पजीयन किसी भी ई-मित्र पर निःशुल्क कराया जा सकता है। लाभार्थी स्वयं अपना एसएसओ (सिंगल साइन ऑन) आईडी बनाकर पंजीयन कर सकता है।

emitraapp.rajasthan.gov.in साईट खोलें।

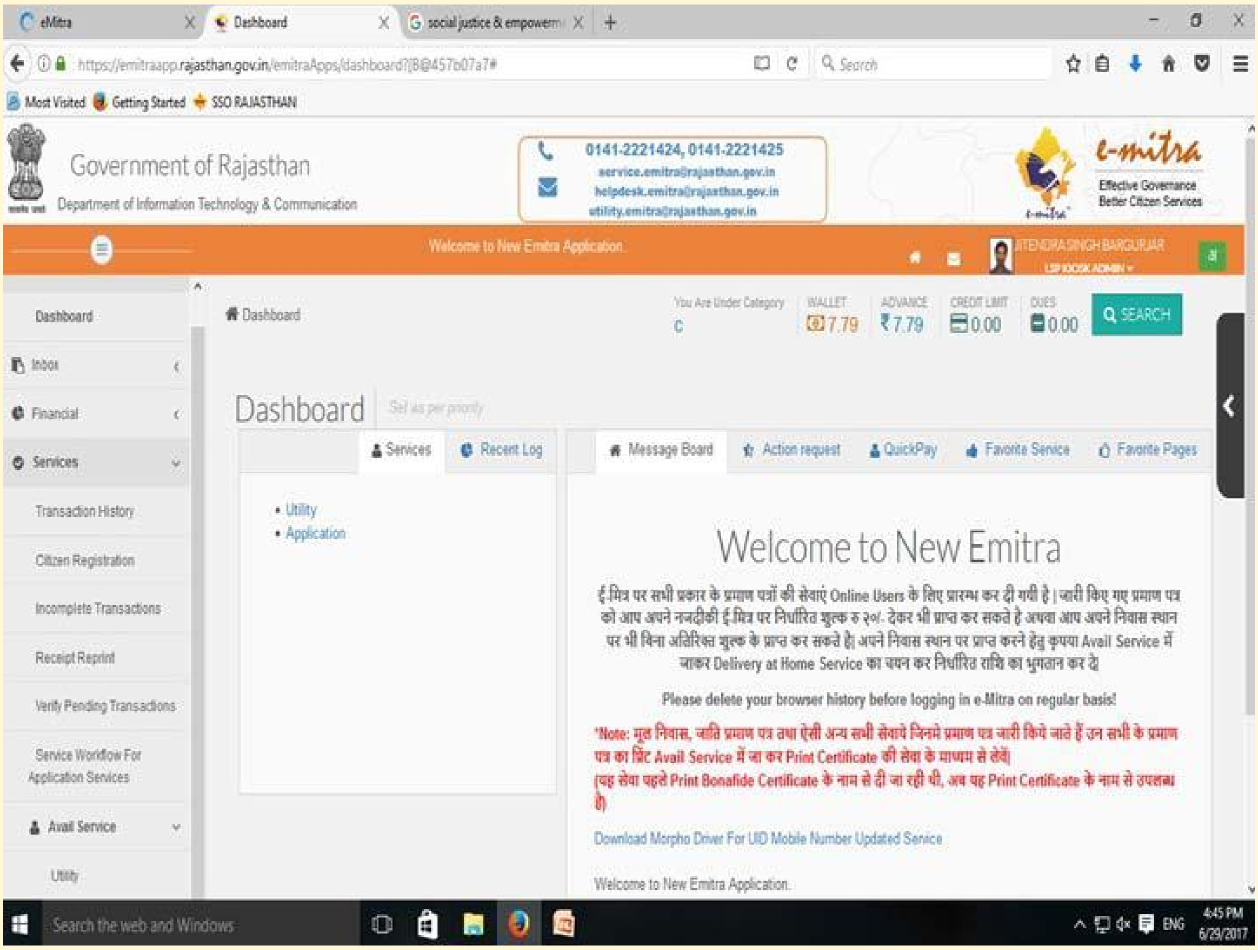

स्क्रीन शॉट 14

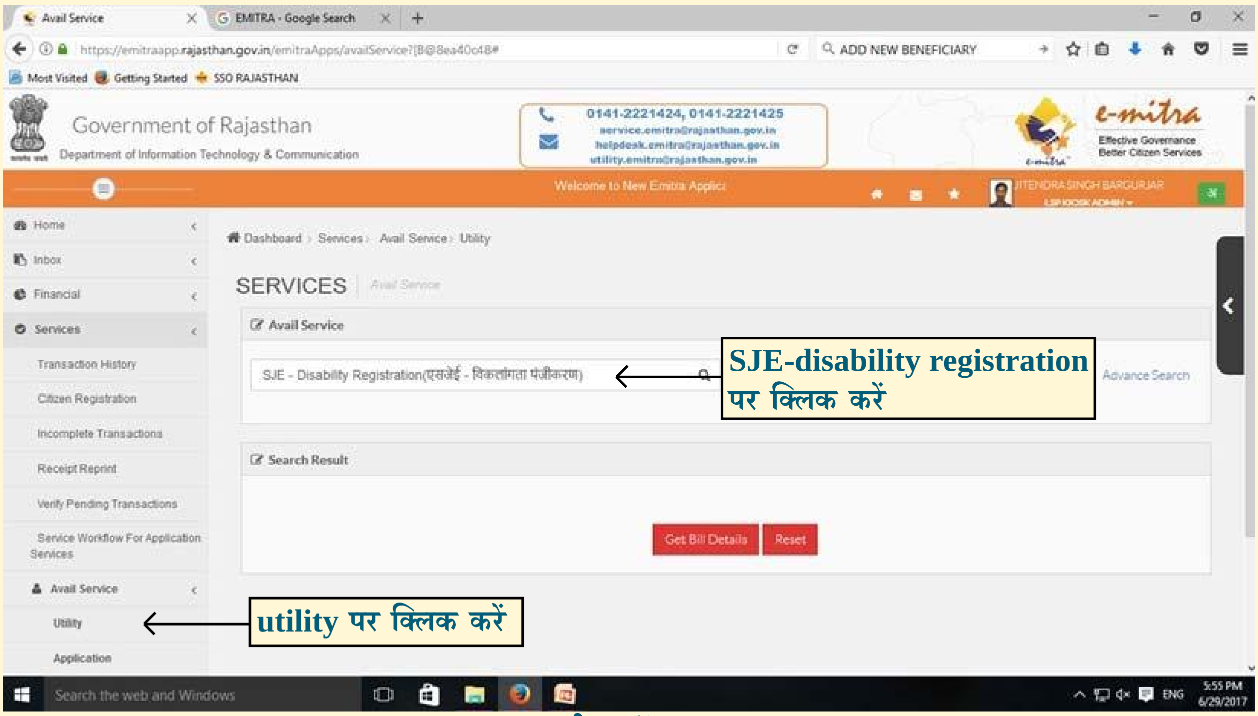

स्क्रीन शॉट 15

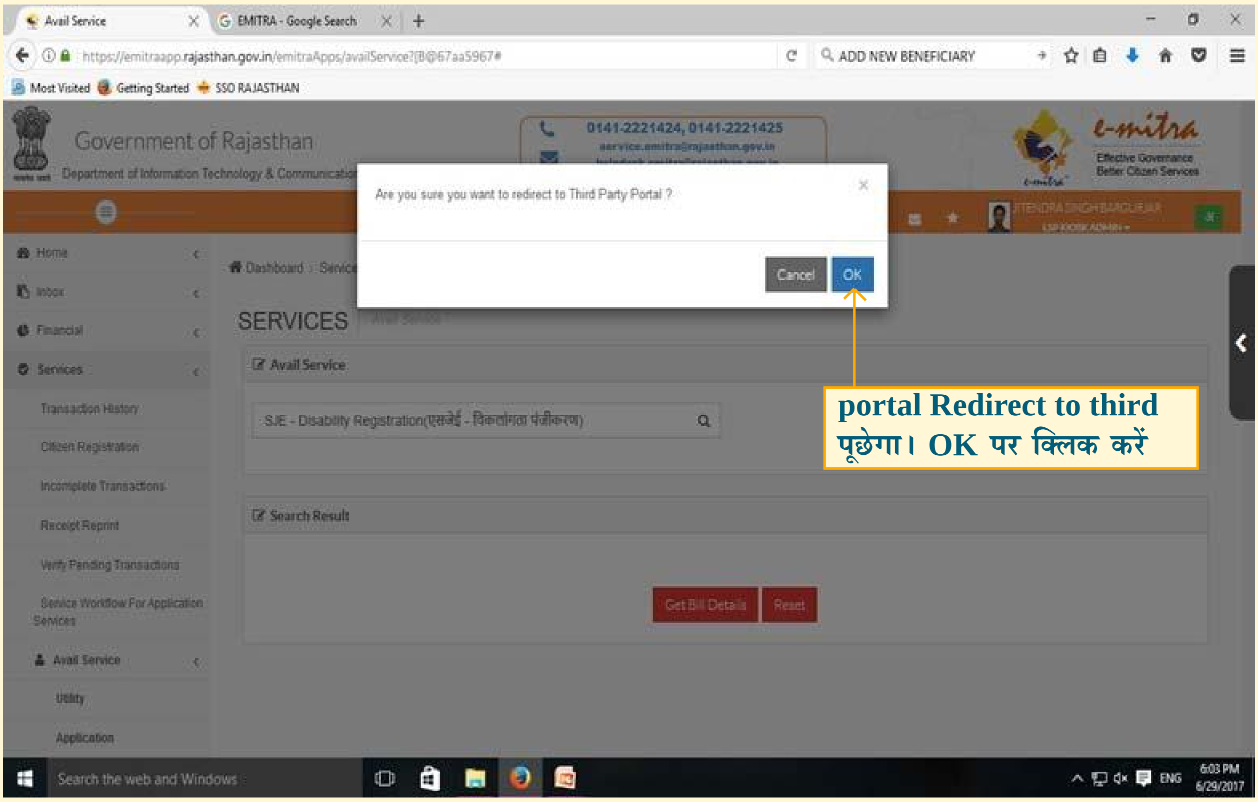

स्क्रीन शॉट 16

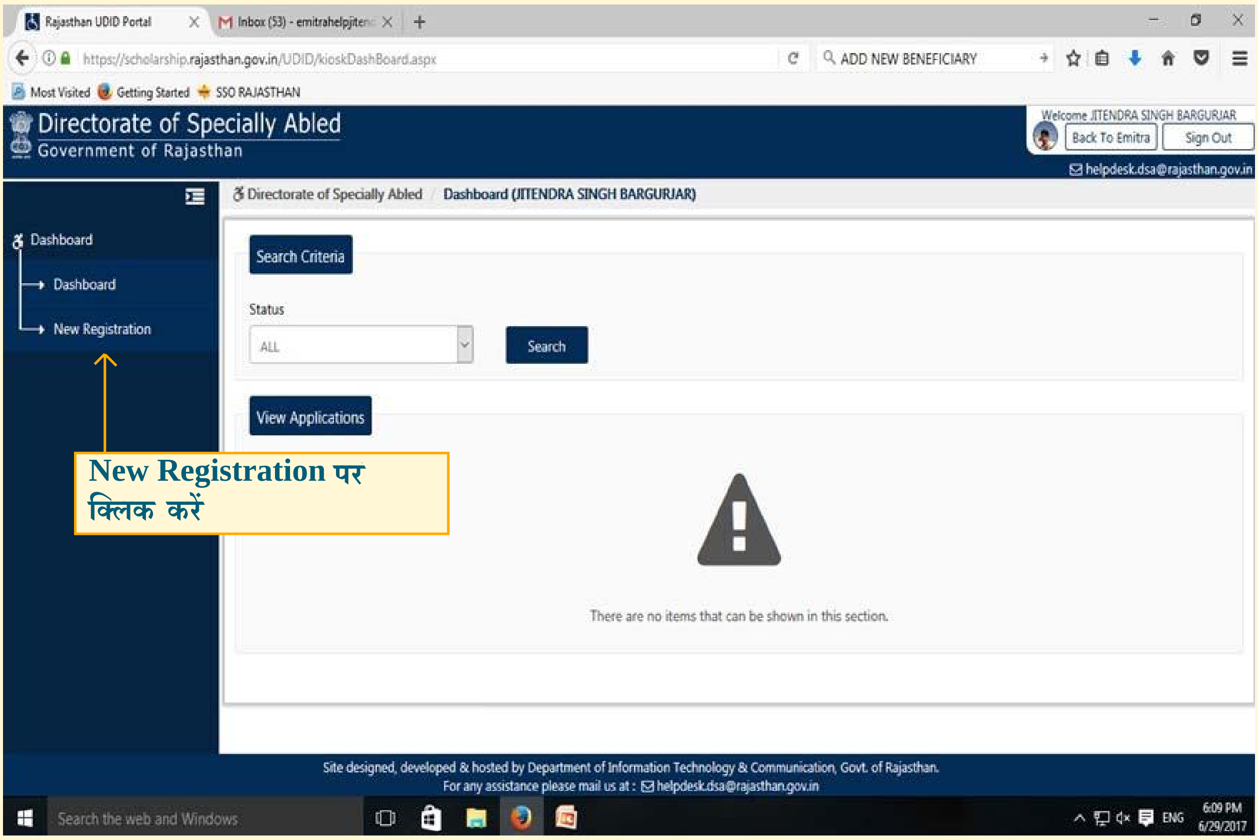

स्क्रीन शॉट 17

स्क्रीन शॉट 18

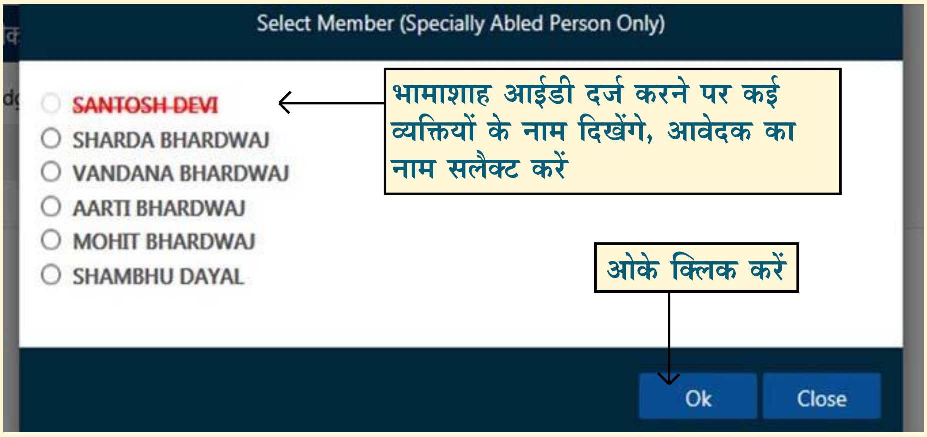

स्क्रीन शॉट 19

भामाशाह रिकॉर्ड से आवेदक का विवरण दिखेगा।

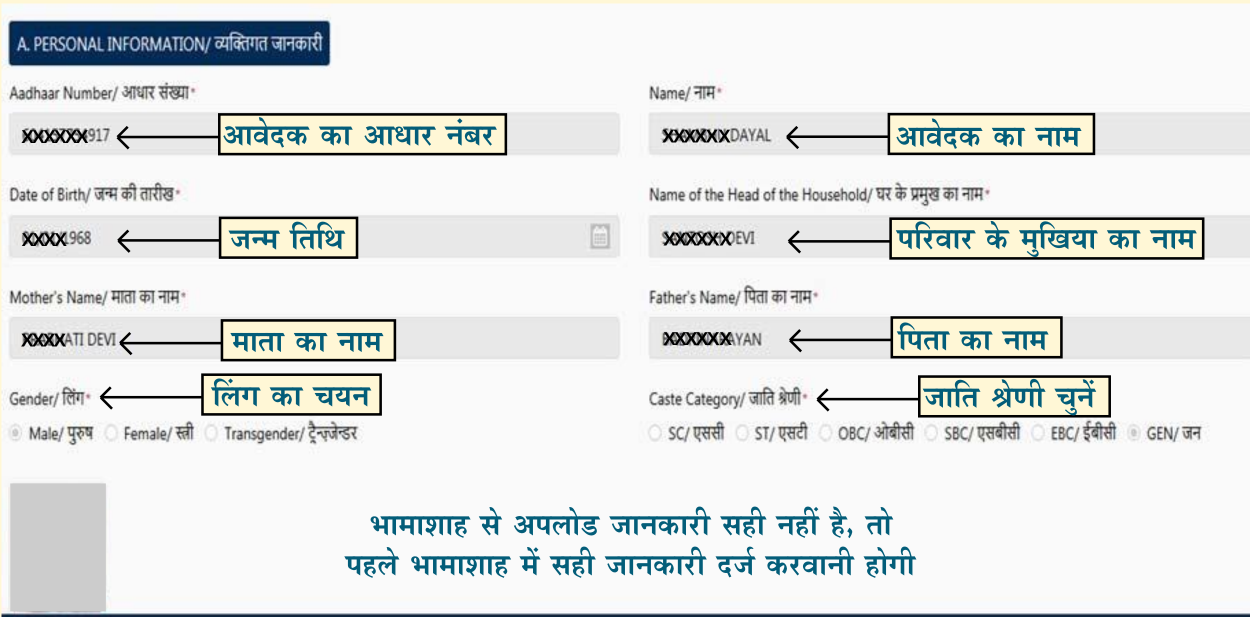

स्क्रीन शॉट 20

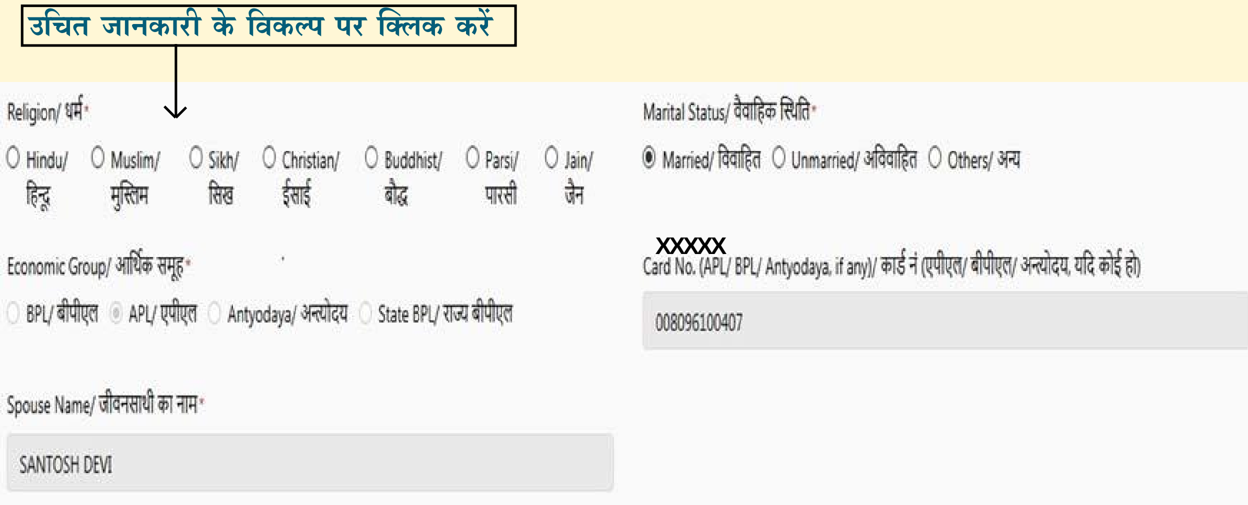

स्क्रीन शॉट 21

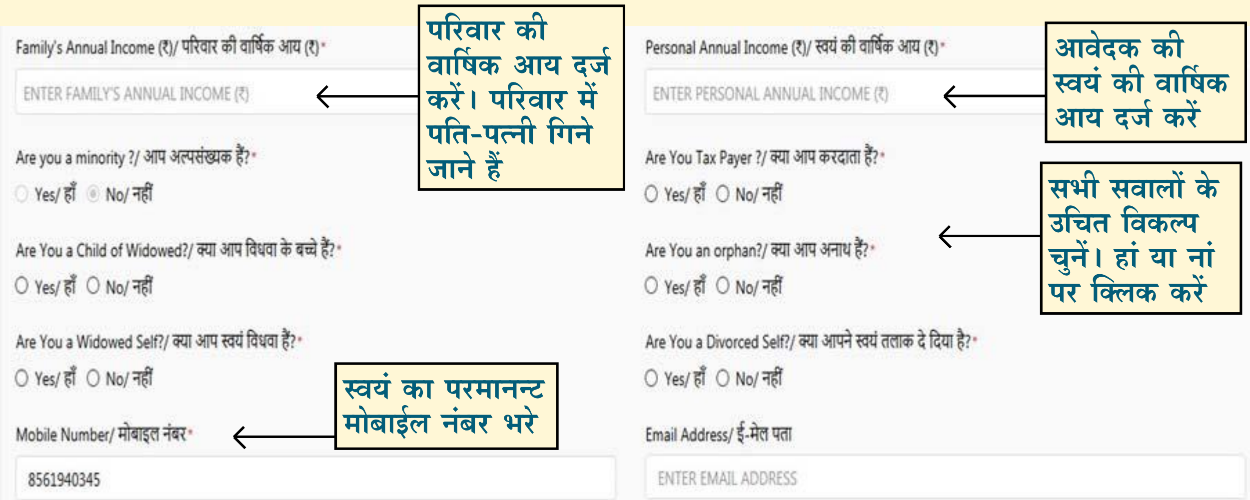

स्क्रीन शॉट 22

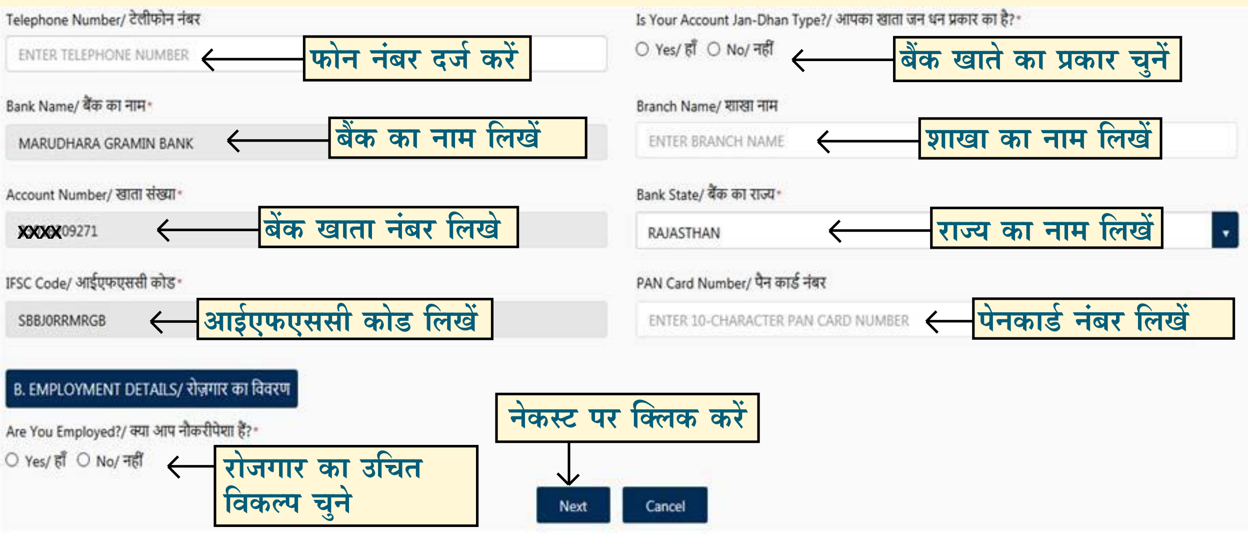

स्क्रीन शॉट 23

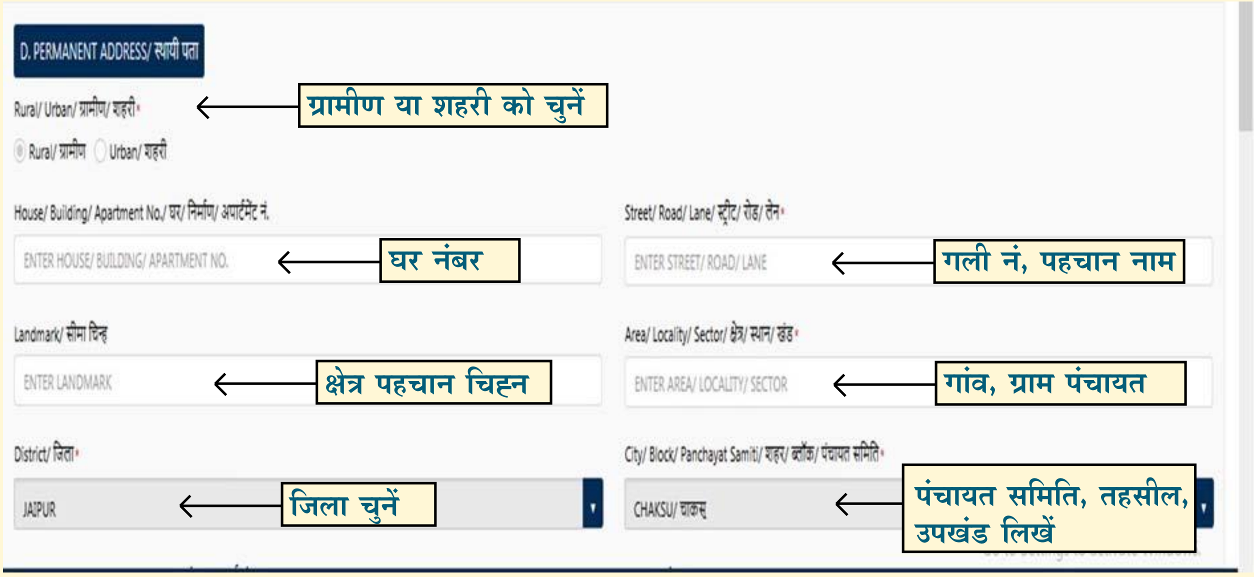

स्क्रीन शॉट 24

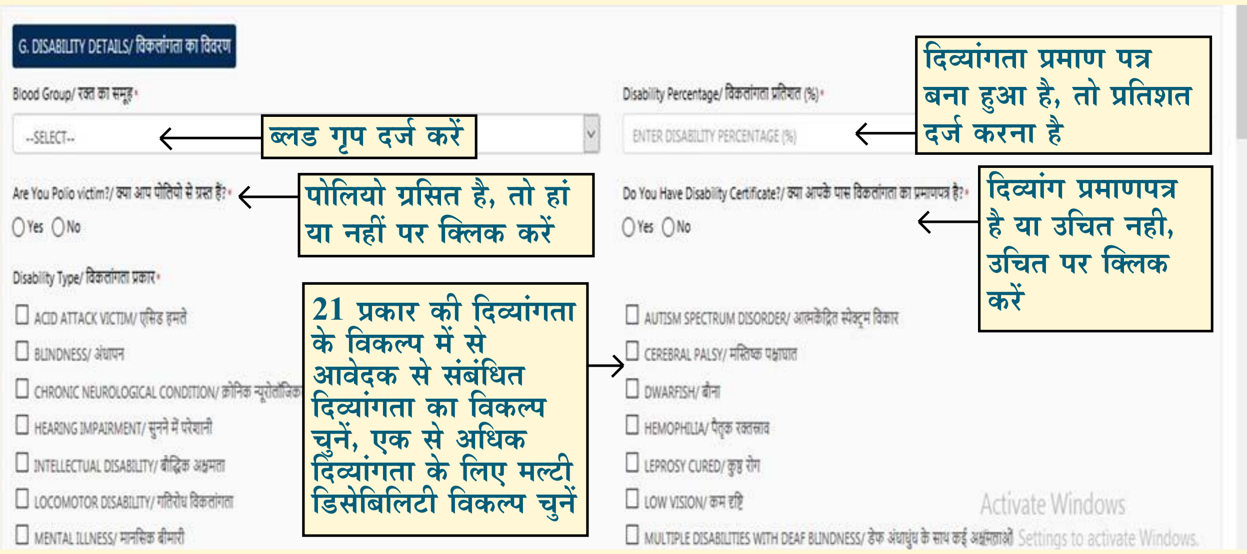

स्क्रीन शॉट 25

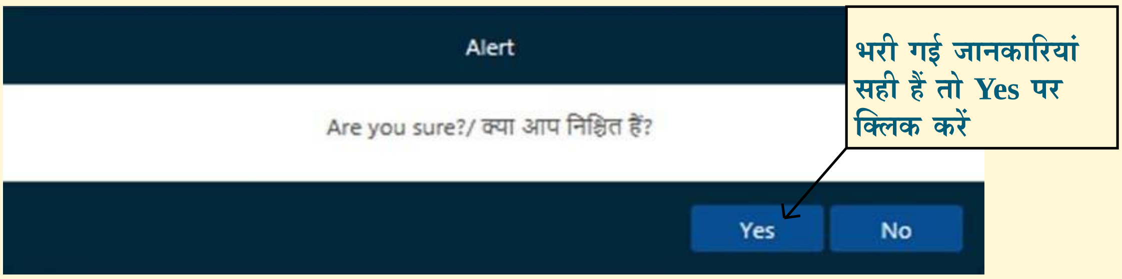

स्क्रीन शॉट 26

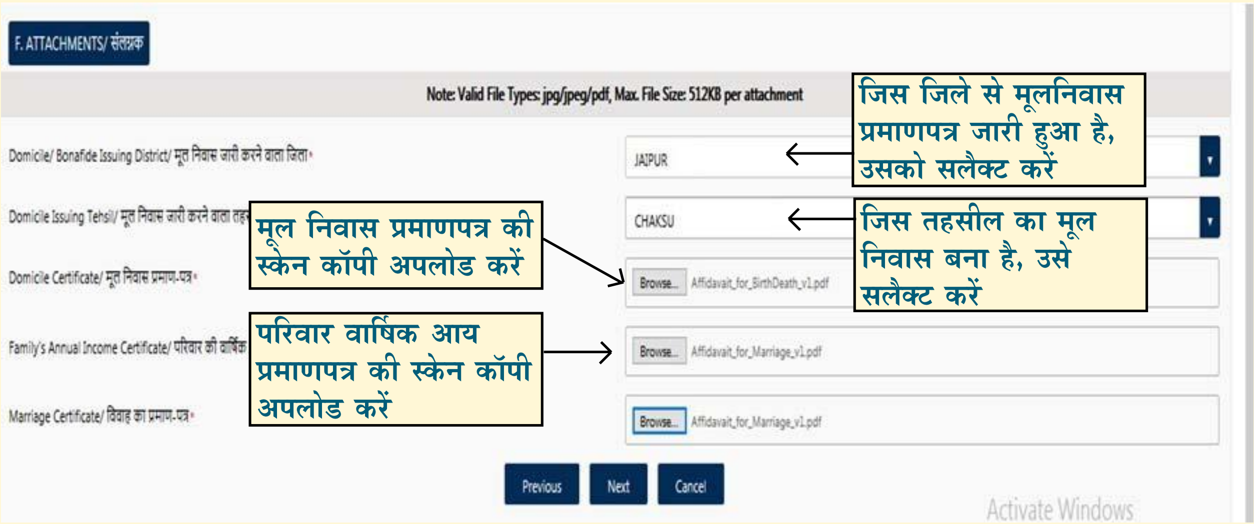

स्क्रीन शॉट 27

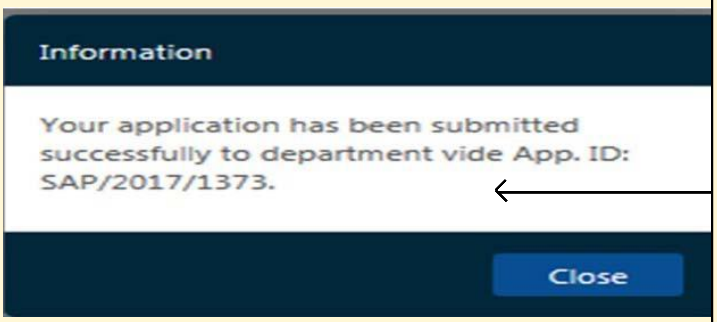

स्क्रीन शॉट 28

पंजीयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी। आवेदक की पंजीयन आई. डी. प्रदर्शित हो रही है।

आवेदक को आई.डी का प्रिंट निकाल कर दें एवं सुरक्षित रखने की सलाह दें।

यदि आवेदक का प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो आईडी की फोटो प्रति लेकर नजदीक के पीएचसी या सीएचसी पर प्रमाण पत्र की मांग के लिए भेजें।

संबंधित चिकित्सा प्रभारी जांच कर ऑनलाइन प्रमाण-पत्र बनाएगा।

पंजीयन के पश्चात मिलने वाले पंजीयन क्रमांक की रसीद लेकर नजदीक के प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की मांग के लिए लाभार्थी को भेजें। दिखने वाली एक प्रकार की दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बनाए जाने का प्रावधान है। एक से अधिक एवं प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखने वाली दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के लिए प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा संबंधित अस्पताल में रैफर किया जाएगा, जहां विशेषज्ञ जांच करके ऑन लाइन प्रमाण-पत्र बनाएगा। ई-मित्र से प्रमाण पत्र का प्रिंट मिलेगा।

(जिला कलक्टर बाडमेर के आदेश क्रमांक/सान्याअवि/2018/801 दिनांक 6.2.2018 के अनुसार जिले की समस्त पीएचसी/सीएचसी पर ओपीडी के समय प्रत्येक दिवस में लोकोमोटर अथवा चलन निशक्तता के प्रमाण-पत्र बनाए जाएंगे।)

यदि प्रमाण-पत्र नहीं बनाया जाता है तो इस आदेश का हवाला देते हुए, खंड व जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करवाएं। ■

3. पालनहार योजना

लाभार्थीः अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिनके माता या पिता को न्यायिक आदेश से आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिली हो, पुनर्विवाहित माता की संतान, कुष्ठ रोग, एड्स पीडित व दिव्यांग माता या पिता, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला की संतान, विधवा व नाता जाने वाली माताओं की अधिकतम तीन संतान; बच्चे आंगनवाडी या विद्यालय में जा रहे होने चाहिए।

लाभः पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे का रू. 500 प्रति माह प्रति बच्चा, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों का रू. 1,000 प्रति माह प्रति बच्चा; वर्ष में एक बार रू. 2,000 (विधवा व नाता को छोडकर) कपड़े, जूते, स्वेटर आदि जरूरतों के लिए

आवेदनः ई-मित्र से ऑनलाइन किया जाता है। प्रति वर्ष बच्चों के आंगनवाडी या विद्यालय में नामाकन एव अध्ययनरत होने का ऑनलाइन भौतिक सत्यापन कराना है।

दस्तावेजः पालनहार व बच्चों के आधार कार्ड, पालनहार का भामाशाह कार्ड, पालनहार की वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार से कम होने का प्रमाणपत्र, बच्चों के आंगनवाडी या स्कूल में नामांकन व अध्ययनरत होने का प्रमाणपत्र, पालनहार की बैंक खाता पासबुक

मुद्दे एवं समाधान प्रक्रिया

1. लाभार्थी कौन हो सकते हैं, इसकी जानकारी नहीं होने के कारण लाभ से वंचित

लोगों को योग्यता की जानकारी दें। पहचान करके आवेदन करवाएं।

2. विद्यालय रिकॉर्ड और आधार कार्ड में जन्म दिनांक अलग-अलग होना, नाम में फर्क होना

विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार आधार कार्ड में दिनांक अथवा नाम में इ-मित्र से ऑनलाइन संशोधन के बाद आवेदन करें।

3. आवेदन में रही कमियों की पूर्ति के अभाव में स्वीकृति जारी नहीं होना

आवेदन की आईडी से ऑनलाईन आवेदन की स्थिति चैक करें। कमियों को पूरा करने के लिए लाभार्थी को फोन से सूचना दें। कमियों को पूरा करें।

4. वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण राशि का भुगतान रोक दिया जाना

पालनहार का भौतिक सत्यापन करवाएं।

5. भुगतान किस अवधि तक का मिला है, इसकी जानकारी लाभार्थी को नहीं होना।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर पालनहार का भुगतान लेजर चैक करके जानकारी दें। भुगतान रूका हुआ है, तो संबंधित अधिकारी या राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

समस्याओं के समाधान के लिए वेब पोर्टल का उपयोग

पालनहार में किश्तें शुरू नहीं हुई, कितनी नहीं मिली, मिलते-मिलते रूक गई जैसी समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वेब पोर्टल का उपयोग करें, इसकी जानकारी चरणवार यहां आगे दी जा रही है।

स्क्रीन शॉट 29

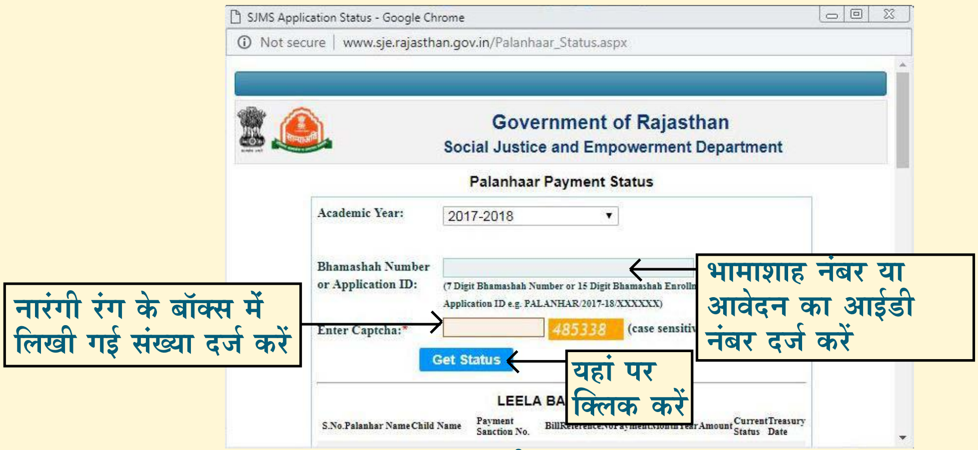

स्क्रीन शॉट 30

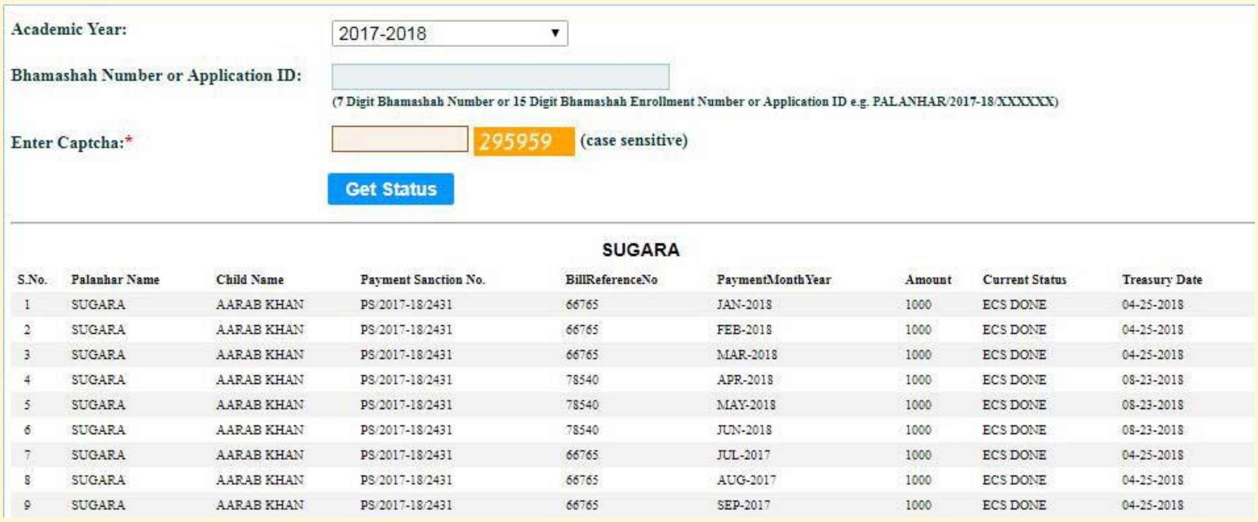

Academic Year: 2017-2018

Bhamashah Number or Application ID:

(7 Digit Bhamashah Number or 15 Digit Bhamashah Enrollment Number or Application ID e.g. PALANHAR/2017-18/XXXXXX)

Enter Captcha:* 295959 (case sensitive)

Get Status

SUGARA

S.No.	Palanhar Name	Child Name	Payment Sanction No.	BillReferenceNo	PaymentMonthYear	Amount	Current Status	Treasury Date
1	SUGARA	AARAB KHAN	PS/2017-18/2431	66765	JAN-2018	1000	ECS DONE	04-25-2018
2	SUGARA	AARAB KHAN	PS/2017-18/2431	66765	FEB-2018	1000	ECS DONE	04-25-2018
3	SUGARA	AARAB KHAN	PS/2017-18/2431	66765	MAR-2018	1000	ECS DONE	04-25-2018
4	SUGARA	AARAB KHAN	PS/2017-18/2431	78540	APR-2018	1000	ECS DONE	08-23-2018
5	SUGARA	AARAB KHAN	PS/2017-18/2431	78540	MAY-2018	1000	ECS DONE	08-23-2018
6	SUGARA	AARAB KHAN	PS/2017-18/2431	78540	JUN-2018	1000	ECS DONE	08-23-2018
7	SUGARA	AARAB KHAN	PS/2017-18/2431	66765	JUL-2017	1000	ECS DONE	04-25-2018
8	SUGARA	AARAB KHAN	PS/2017-18/2431	66765	AUG-2017	1000	ECS DONE	04-25-2018
9	SUGARA	AARAB KHAN	PS/2017-18/2431	66765	SEP-2017	1000	ECS DONE	04-25-2018

स्क्रीन शॉट 31

इससे जानकारी मिलती है कि कितने बच्चों का, किस अवधि तक कितने रूपये का भुगतान मिला है। यदि किसी बीच की अवधि का अथवा अंतिम महीनों का भुगतान नहीं मिला है तो उसकी कार्यवाही कर सकते है। ■

4. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना

लाभार्थीः बीपीएल परिवारों के 59 वर्ष तक की आयु के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति का बीमा सरकार द्वारा किया गया है।

लाभः मुखिया की सामान्य मुत्यु होने पर रू. 30,000; दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अपंगता हो जाने पर रू. 75,000; अपूर्ण अपंगता होने पर रू. 37,500 का मुआवजा मिलता है। कक्षा 9 से 12 में पढ रही संतानों को रू. 100 प्रतिमाह हर तीसरे महीने के आधार पर छात्रवृत्ति मिलती है।

आवेदनः मुखिया की मृत्यु होने के दिन से छः माह में ग्राम पंचायत से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें व पावती लें।

दस्तावेजः मुखिया का मृत्यु प्रमाण-पत्र, आवेदक का फोटो, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बीपीएल होने का प्रमाणपत्र, बैंक खाता पासबुक, दुर्घटना की स्थिति में पुलिस एफ.आई.आर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति सलंग्न करें।

संबंधित मुद्दे व समाधान प्रक्रिया

1. योजना की जानकारी नहीं होने के कारण निर्धारित समय में आवेदन नहीं होना

समुदाय बैठकों, ग्राम सभाओं में जानकारी दें व पहचान करें। आवेदन करवाएं।

2 आवेदन के बाद लाभ नहीं; आवेदन की स्थिति की जानकारी नहीं होना

पंचायत समिति के मार्फत बीमा कंपनी को पत्र लिखें। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

3 दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर पुलिस एफआईआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करवाना

समुदायिक बैठकों, ग्राम सभाओं में बार-बार जानकारी दें। ■

5. खाद्य सुरक्षा योजना

सभी गरीब परिवार, जिनके गुजारे लायक नियमित आय का साधन नहीं है, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ता राशन एवं सरकार द्वारा देय अन्य लाभ के हकदार हैं। खाद्य सुरक्षा के तहत परिवारों का चयन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में समावेशन के मापदंडों की सूची जारी की गई है। राशन कार्ड जारी करने में परिवार में सबसे बड़ी उम्र की वयस्क महिला को मुखिया माना जाएगा। यदि परिवार में कोई वयस्क महिला नहीं है तो सबसे वयस्क पुरूष परिवार के मुखिया होंगे। परिवार में कोई भी वयस्क व्यक्ति (18 वर्ष से अधिक उम्र का) अपना राशन कार्ड अलग बनवा सकते हैं।

लाभः अंत्योदय परिवारों को 35 किलो गेहूं प्रति माह रू. 1 प्रति किलो की दर; प्रतिमाह 1 किलो चीनी रू. 24.50 प्रति किलो की दर से

खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को प्रति यूनिट (परिवार सदस्य) 5 किलो गेहूं प्रति माह रू. 1 प्रति किलो की दर से

एलपीजी गैस लाभार्थियों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा के सभी लाभार्थियों को 2.5 लीटर कैरोसीन तेल प्रति माह रू. 17.50 प्रति लीटर की दर से

समस्याओं के समाधान के लिए वेब पोर्टल का उपयोग

खाद्य सुरक्षा में किसी परिवार की पात्रता के बारे में पता नहीं है, लाभार्थी होने के बावजूद राशन नहीं मिल रहा है। (अबेयंस लिस्ट), सामग्री कब कितनी दी जा रही है, जैसी समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वेब पोर्टल का उपयोग करें। इसकी जानकारी चरणवार यहां आगे दी जा रही है।

1. खाद्य सुरक्षा लाभ के योग्य परिवार लाभ से वंचित हैं

योग्यता श्रेणी के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पीपीओ, हिताधिकारी में पंजीयन का प्रमाण, दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र, भूमिहीन या सीमांत किसान का पटवारी से प्राप्त प्रमाण पत्र, एड्स, सिलिकोसिस पीड़ित होने का प्रमाण-पत्र, गरीब होने की स्थिति में स्व-प्रमाणित आय प्रमाण-पत्र सलंग्न करके ई-मित्र के मार्फत ऑन लाइन अपील करें।

ई-मित्र संचालक, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केंद्र संचालक व आम नागरिक ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा लाभार्थी तथा अबेयंस लिस्ट को ऐसे देख सकते हैं।

2. खाद्य सुरक्षा लाभार्थी होने के बावजूद राशन नहीं मिलना

ऑनलाइन अबेयंस लिस्ट में नाम देखकर डीलर से बात करें। उसके बाद भी राशन नहीं देने पर उपखंड अधिकारी, जिला रसद अधिकारी अथवा संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

गूगल पर सर्च करने से इस प्रकार का विंडो खुलेगा

दांई तरफ महत्वपूर्ण लिंक के नीचे एक सूची तथा छोटे-छोटे ऐरो के चिन्ह हैं। ऐरो बटन पर क्लिक करें

खाद्य सुरक्षा लाभार्थी कौन हैं, यह जानने के लिए यहां क्लिक करें

खाद्य सुरक्षा लाभार्थी हैं, लेकिन राशन नहीं ले रहे हैं, उसकी जानकारी यहां क्लिक करने से मिलेगी

स्क्रीन शॉट 32

पहले खाद्य सुरक्षा लाभार्थी कौन हैं, यह जानते हैं -

Report of NFSA & Non NFSA Beneficiaries पर क्लिक करने से जिलों की सूची दिखेगी। जिला चुनें।

Url: http://food.raj.nic.in/pmo_District.aspx   Date & Time: 20-02-2019 06:59:01 PM

Sr No	District	NFSA						NON NFSA		TOTAL	
		AAY		PHH		Total		No. of RC	No. of Unit	No. of RC	No. of Unit
		No. of RC	No. of Unit	No. of RC	No. of Unit	No. of RC	No. of Unit				
1	Ajmer	20873	84326	399216	1639701	420089	1724027	490801	1649813	910890	3373840
2	Alwar	22130	96558	586488	2667650	608618	2764208	479318	1811500	1087936	4575708
3	Banswara	47426	209304	336509	1516803	383935	1726107	128333	446667	512268	2172774
4	Baran	50275	196114	189854	814607	240129	1010721	163318	573639	403447	1584360
5	Barmer	24321	100897	382824	1819723	407145	1920620	302098	1127069	709243	3047689

स्क्रीन शॉट 33

संबंधित ब्लॉक की सूची पर क्लिक करें

Url: http://food.raj.nic.in/PMO_block.aspx   Date & Time: 20-02-2019 06:58:02 PM

Sr No	Area Name	Area Type	NFSA						NON NFSA		TOTAL	
			AAY		PHH		Total		No. of RC	No. of Unit	No. of RC	No. of Unit
			No. of RC	No. of Unit	No. of RC	No. of Unit	No. of RC	No. of Unit				
1	कल्याणपुर	Rural (Panchayat Saimiti)	638	2995	17268	85001	17906	87996	10334	41517	28240	129513
2	गडरा रोड	Rural (Panchayat Saimiti)	871	3232	17721	79123	18592	82355	12865	43702	31457	126057
3	गुडामालानी	Rural (Panchayat Saimiti)	1129	4880	24543	115907	25672	120787	15399	57176	41071	177963
4	गिडा	Rural (Panchayat Saimiti)	1940	7908	17917	86549	19857	94457	13535	46646	33392	141103
5	चौहटन	Rural (Panchayat Saimiti)	1383	5397	24146	109708	25529	115105	14844	50372	40373	165477

स्क्रीन शॉट 34

डीलर के नाम पर क्लिक करें

Url: http://food.raj.nic.in/FPSByRationCardCategoryDetails.aspx — Date & Time: 20-02-2019 06:56:29 PM

Sr No	FPS Name	FPS Code	NFSA						NON NFSA		TOTAL	
			AAY		PHH		Total		No. of RC	No. of Unit	No. of RC	No. of Unit
			No. of RC	No. of Unit	No. of RC	No. of Unit	No. of RC	No. of Unit				
1	अमरसिह/भैरसिह	13108	14	52	278	1263	292	1315	50	182	342	1497
2	इलमदीन/हबिबखान केसरपुरा	30698	20	75	349	1843	369	1918	351	1216	720	3134
3	खुशालसिंह / जालमसिंह	30951	4	20	65	305	69	325	41	153	110	478
4	गजेन्द्रकरण/माधोकरण	30979	36	183	243	1284	279	1467	195	874	474	2341

स्क्रीन शॉट 35

राशन कार्ड नं. पर क्लिक करें

NFSA   Non-NFSA

Url: http://food.raj.nic.in/card_wise_data.aspx — Date & Time: 20-02-2019 06:47:27 PM

Sr No	Ration UID	Ration Card Holder Name	Father's Name	Address	Category
1	008737300036	अणसी कंवर	श्री	अणसी कंवर ,ग्राम.अईनाथ नगर, ग्रा.प.चीलानाड़ी, त.पचपदरा, अईनाथ नगर, बालोतरा- जिला बाड़मेर	AN
2	008737300035	आसी देवी	दमाराम	आसी देवी ,ग्राम.अईनाथ नगर, ग्रा.प.चीलानाड़ी, त.पचपदरा, अईनाथ नगर, बालोतरा- जिला बाड़मेर	AN
3	008737400198	इन्द्रा कंवर	सुल्तान सिंह	इन्द्रा कंवर ,ग्राम.गुडनगर, पोस्ट.चीलानाड़ी, त.पचपदरा, गुडनगर, बालोतरा- जिला बाड़मेर	AN

स्क्रीन शॉट 36

राशन कार्ड में खाद्य सुरक्षा का प्रकार के आगे लाभार्थी है तो (हां) अन्यथा (नहीं) लिखा होगा।

राशन कार्ड का विवरण

राशन कार्ड नंबर: XXXXXXXXX95 | कार्ड का प्रकार: APL | खाद्य सुरक्षा का प्रकार: हाँ

उपभोक्ता का नाम: XXXXXXXX

पता: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

मोबाइल नंबर: Not Available

उचित मूल्य दुकानदार का नाम: अमरसिंह/भैरसिंह (FPS Code:-13108)

गैस का प्रकार: Not Available | गैस एजेंसी: Not Available | उपभोक्ता क्रमांक: Not Available

क्रम. सं.	उपभोक्ता का नाम	आयु	पिता का नाम	मुखिया से सम्बन्ध
1.	अनोपी देवी	71	थाना राम	स्वयं

पॉस ट्रांसक्शन्स का विवरण

बिल नंबर	बिल दिनांक	उचित मूल्य दुकानदार का नाम	खाद्यान्न का प्रकार	खाद्यान्न की मात्रा
13108160820134740	20 Aug 2016 13:47:40:300	639 / अमरसिंह/भैरसिंह (FPS Code:-13108)	किरोसीन	4.00 लीटर
13108160820134740	20 Aug 2016 13:47:40:300	639 / अमरसिंह/भैरसिंह (FPS Code:-13108)	गेहूँ	5.00 किग्रा
13108160521142211	21 May 2016 14:22:11:350	639 / अमरसिंह/भैरसिंह (FPS Code:-13108)	किरोसीन	4.00 लीटर
13108160521142211	21 May 2016 14:22:11:350	639 / अमरसिंह/भैरसिंह (FPS Code:-13108)	गेहूँ	5.00 किग्रा

(खाद्य सुरक्षा लाभार्थी सूची को एक्शलशीट में सेव कर प्रिंट निकाल सकते हैं)

परिवार के सदस्यों के नाम भी लिखे होंगे

स्क्रीन शॉट 37

जिला चुनें

Url: http://food.raj.nic.in/District_Abeyance_List.aspx

Date & Time: 20-02-2019 07:02:07 PM

S.No	District	No. of Abeyance DRC
1.	Ajmer	7184
2.	Alwar	14708
3.	Banswara	12143
4.	Baran	1218
5.	Barmer	12420

स्क्रीन शॉट 38

ब्लॉक चुनें

Url: http://food.raj.nic.in/Block_Wise_Abeyance.aspx

Date & Time: 20-02-2019 07:03:32 PM

S.No	Area Name	Area Type	No. of Abeyance DRC
1.	कल्याणपुर	Rural (Panchayat Saimiti)	534
2.	गडरा रोड	Rural (Panchayat Saimiti)	460
3.	गुडामालानी	Rural (Panchayat Saimiti)	166
4.	गिडा	Rural (Panchayat Saimiti)	373

स्क्रीन शॉट 39

डीलर का नाम चुनें

Url: http://food.raj.nic.in/FPS_Wise_Abeyance.aspx

Date & Time: 20-02-2019 07:04:35 PM

S.No	FPS Owner Name	No. of Abeyance DRC
1.	अमरसिह/भैरसिह (13108)	1
2.	इलमदीन/हबिबखान केसरपुरा (30698)	12
3.	खुशालसिंह / जालमसिंह (30951)	1

स्क्रीन शॉट 40

महत्वपूर्ण लिंक

- राशन कार्ड रिपोर्ट
- पोस (PoS) रिपोर्ट
- एफ.पी.एस. (FPS) रिपोर्ट
- खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) रिपोर्ट
  - NFSA beneficiary Seeding Report
  - Report of NFSA & Non NFSA Beneficiary
  - Report of NFSA Beneficiary Never Taken Wheat(Abeyance List)
- Wheat Report
- Sugar Report
- Kerosene Report
- Gas & Petrol pump Report
- जिले वार गांव की सूची
- जिले वार गोदामो की सूची
- जिले वार थोक मूल्य विक्रेता

स्क्रीन शॉट 41

Url: http://food.raj.nic.in/Card_Abeyance_List.aspx

Date & Time: 20-02-2019 07:05:19 PM

S.No	Ration Card No.	Ration Card Holder Name	Father's Name	Address
1.	008738200555	अनोपाराम	अचला राम	अनोपाराम ,ग्राम केसरपुरा, ग्रा.प.केसरपुरा, त.पचपदरा, केसरपुरा, बालोतरा- जिला बाड़मेर
2.	008739500282	मुबारक खां	उमर खां	मुबारक खां ,ग्राम गंगापुरा, ग्रा.प.नवोड़ा बेरा, त.पचपदरा, गंगापुरा, बालोतरा- जिला बाड़मेर
3.	008739500283	हनीफो	जानू खां	हनीफो ,ग्राम गंगापुरा, ग्रा.प.नवोड़ा बेरा, त.पचपदरा, गंगापुरा, बालोतरा- जिला बाड़मेर

स्क्रीन शॉट 41

राशन कार्ड नं. पर क्लिक करें

Report of NFSA Beneficiaries Never Taken Wheat (Abeyance List) पर क्लिक करें

परिवार का राशन कार्ड विवरण खुलेगा। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या दिखेगी। खाद्य सुरक्षा के प्रकार में अबेयंस लिखा है।

राशन कार्ड का विवरण

राशन कार्ड नंबर: [redacted]555	कार्ड का प्रकार: APL	खाद्य सुरक्षा का प्रकार: Abeyance
उपभोक्ता का नाम: [redacted]		
पता: [redacted] जिला बाड़मेर		
मोबाइल नंबर: Not Available		
उचित मूल्य दुकानदार का नाम: इलमदीन/हबिबखान केसरपुरा (FPS Code:-30698)		
गैस का प्रकार: Double	गैस एजेंसी:	उपभोक्ता क्रमांक:

स्क्रीन शॉट 43

महत्वपूर्ण लिंक के 'राशन कार्ड एवं राशन वितरण का विवरण देखें' विकल्प को चुनें

राशन कार्ड नंबर वाले बॉक्स में राशन कार्ड नंबर डालें

स्क्रीन शॉट 44

लाभार्थी ने किस दिन, कितने बजे, कौनसी सामग्री, कितनी मात्रा में उठाई, यह जानकारी मिलेगी

पॉस ट्रांसक्शन्स का विवरण

बिल नंबर	बिल दिनांक	उचित मूल्य दुकानदार का नाम		
13777190214151110	14 Feb 2019 15:11:10:000	705 / दुदाराम /मेगाराम (FPS Code:-13777)	किरोसीन	2.50 लीटर
13777190214151110	14 Feb 2019 15:11:10:000	705 / दुदाराम /मेगाराम (FPS Code:-13777)	गेहूँ	35.00 किग्रा
13777190112134652	12 Jan 2019 13:46:52:000	705 / दुदाराम /मेगाराम (FPS Code:-13777)	किरोसीन	2.50 लीटर
13777190112134652	12 Jan 2019 13:46:52:000	705 / दुदाराम /मेगाराम (FPS Code:-13777)	गेहूँ	35.00 किग्रा
13777181219135350	19 Dec 2018 13:53:50:000	705 / दुदाराम /मेगाराम (FPS Code:-13777)	गेहूँ	35.00 किग्रा
13777181219135350	19 Dec 2018 13:53:50:000	705 / दुदाराम /मेगाराम (FPS Code:-13777)	किरोसीन	2.50 लीटर
13777181118121540	18 Nov 2018 12:15:40:000	705 / दुदाराम /मेगाराम (FPS Code:-13777)	किरोसीन	2.50 लीटर
13777181118121540	18 Nov 2018 12:15:40:000	705 / दुदाराम /मेगाराम (FPS Code:-13777)	गेहूँ	40.00 किग्रा
13777181020103408	20 Oct 2018 10:34:08:000	705 / दुदाराम /मेगाराम (FPS Code:-13777)	किरोसीन	2.50 लीटर
13777181020103256	20 Oct 2018 10:32:56:000	705 / दुदाराम /मेगाराम (FPS Code:-13777)	किरोसीन	2.50 लीटर
13777181020103256	20 Oct 2018 10:32:56:000	705 / दुदाराम /मेगाराम (FPS Code:-13777)	गेहूँ	40.00 किग्रा

स्क्रीन शॉट 45

3. सामग्री दी जा रही है या कम दी जा रही है। पीओएस मशीन (प्वाइन्ट ऑफ सेल) से हुए लेनदेन विवरण देखना

इस जानकारी से लाभार्थी कार्यवाही कर सकता है। बाड़मेर जिले के पाटोदी व सिणधरी ब्लॉक में हजारों लाभार्थियों ने इस विवरण की मदद से राशन डीलरों द्वारा की जा रही गड़बडियों पर रोक लगा दी।अपना पहले का नहीं दिया गया राशन भी प्राप्त किया। यह जानकारी लाभार्थी को उपलब्ध कराने एवं उसकी शिकायत करने में सहयोग करने से समस्या का समाधान सुनिश्चित हो जाता है।

अगर लाभार्थी राशन कार्ड लाना भूल गया है, जिले वार राशन कार्ड विवरण पर के विकल्प को चुनकर उपर्युक्त सभी स्टेप पूरे करते हुए राशन कार्ड तक पहुंचा जा सकता है और उससे राशन का लेजर देखा जा सकता है।

4. पीओएस से किए लेन-देन की रसीद नहीं देना

लाभार्थी की मांग पर जिला रसद अधिकारी व राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। समाधान न हीं होने तक इसका फॉलोअप करें।

5. राशन व अन्य सामग्री उठाने का एसएमएस लाभार्थी के फोन पर नहीं आना

ऑनलाइन राशन कार्ड के साथ लाभार्थी के स्थाई मोबाइल फोन नंबर जोड़ें। लाभार्थी के स्थाई नंबर जोडने से उसके पास पोस मशीन से हुए लेनदेन की जानकारी तो मिल ही जाएगी, साथ ही उसका अंगूठा नहीं रीड होता है तो ओटीपी की सुविधा से राशन प्राप्त कर सकता है। ■

6. महात्मा गांधी नरेगा

लाभार्थीः ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार प्राप्त करने के लिए पंजीकृत वयस्क श्रमिक

लाभः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति दिन निर्धारित टास्क पूरी करने पर रू. 192 की न्यूनतम मजदूरी की दर से 100 दिन के रोजगार की गारंटी

महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार प्राप्त करने के लिए इच्छुक परिवार ग्राम पंचायत में आवेदन कर अपने परिवार के वयस्क सदस्यों का पंजीयन कराकर जॉबकार्ड बनवा सकता है। रोजगार की जरूरत वाले परिवारों द्वारा 6 नंबर प्रपत्र में ग्राम पंचायत में काम की मांग के लिए आवेदन करना है एवं आवेदक को पावती प्राप्त करने का प्रावधान है। मांग की तरीख से 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। आवेदन के लिए रोजगार दिवस आयोजन के निर्देश हैं। ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है। रोजगार पर श्रमिकों को पखवाडा पूरा होने की दिनांक से 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान होना है। निर्धारित समय में भुगतान नहीं मिलने पर श्रमिक श्रम आयुक्त कार्यालय में मुआवजे का दावा कर सकते हैं। कार्य स्थल पर छाया, पानी, प्राथमिक उपचार किट, छोटे बच्चों के लिए पालना व देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। बीपीएल, एससी, एसटी व सीमांत किसानों के लिए अपना खेत अपना काम के तहत बरसात के पानी को संग्रहण करने के लिए टांका निर्माण एवं भूमि सुधार के कार्य वार्षिक प्लान में शामिल करने हैं।

मुद्दे एवं समाधान प्रक्रिया

1. इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन करने पर जॉब कार्ड जारी नहीं करना

आवेदन की पावती या आवेदन की दिनांक का विवरण देते हुए विकास अधिकारी को प्रार्थनापत्र दें। कार्यवाही नहीं होने पर राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करें।

2. महात्मा गांधी नरेगा में काम की मांग निर्धारित प्रपत्र में नहीं लेना, पावती नहीं देना

रोजगार की मांग के दौरान आवेदन नहीं लेने व पावती नहीं देने पर मौके पर विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परियोजना अधिकारी को फोन से अवगत कराते हुए समाधान की मांग करें। 181 पर फोन करके समस्या बताते हुए, समाधान की तत्काल मांग कर सकते हैं।

3. निर्धारित समय में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं होना

ऑनलाइन स्थिति देखें। कार्य का नाम, अवधि, मस्टरोल संख्या अंकित करते हुए विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखें। कार्यवाही नहीं होने पर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। भुगतान नहीं मिलने तक आवश्यकता अनुसार उचित निस्तारण नहीं होने का हवाला देते हुए पुनः शिकायत दर्ज करें।

महात्मा गांधी नरेगा वेबसाइट से भुगतान संबंधी जानकारी ऐसे देखी जा सकती है -

गूगल पर mgnrega लिख कर सर्च बटन दबाएं

यह विंडो खुलेगा, स्टेट्स का बटन दबाएं

स्क्रीन शॉट 46

सभी स्टेट के नाम दिखेंगे। राजस्थान को चुनना है

स्क्रीन शॉट 47

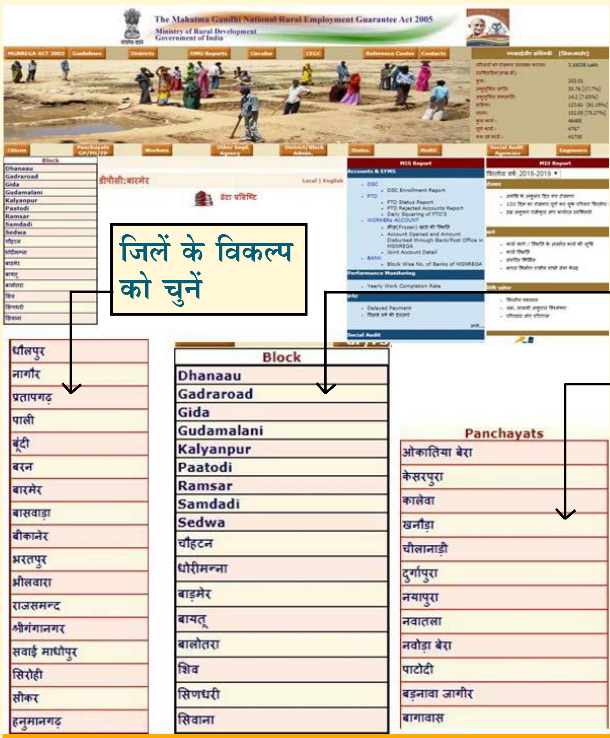

स्क्रीन शॉट 48

जिलें के विकल्प को चुनें

ब्लॉक चुनें

ग्राम पंचायत चुनें

इस प्रकार का विंडो खुलेगा। जॉब कार्ड से काम वाइज भुगतान की जानकारी देखने क लिए **Jobcard/Employment Register** पर क्लिक करें

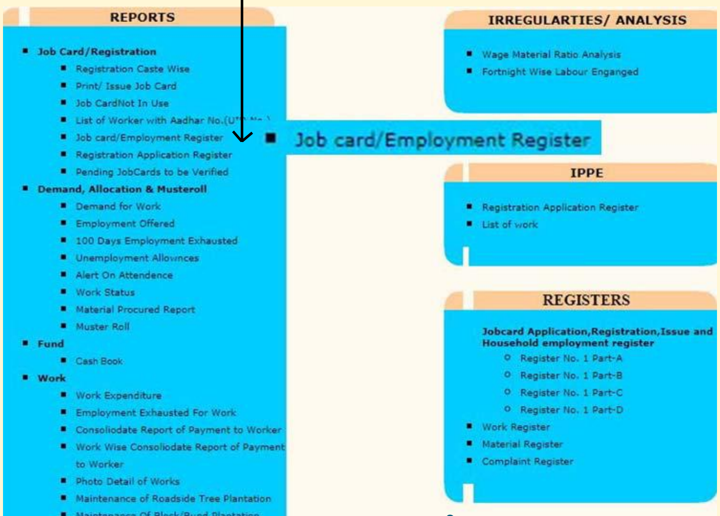

स्क्रीन शॉट 49

ग्राम पंचायत के सभी जॉबकार्ड धारकों की सूची खुलेगी

क्रम संख्या	जॉब कार्ड संख्या	नाम
1	RJ-2717001002021454OO/5571682	छगनलाल
2	RJ-2717001002021454OO/5571684	टेलाराम
3	RJ-2717001002021454OO/5571686	भटाराम
4	RJ-2717001002021454OO/5571689	दुर्गाराम

स्क्रीन शॉट 50

Job card

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT

Job card No.: RJ-271700100202145400/5571682 Family Id: 5571682

Name of Head of Household: छगनलाल

Name of Father/Husband: खीमाराम

Category: SC

Date of Registration: 4/20/2007

Address:

Villages: चिड़ियारा

Panchayat: खनौड़ा

Block: Paatodi

District: बारमेर(राजस्थान)

Whether BPL Family: NO Family Id: 5571682

Epic No.:

Details of the Applicants of the household willing to work

S.No	Name of Applicant	Gender	Age	Bank/Postoffice
1	छगनलाल	Male	20	State Bank of India
2	कलिया	Female	19	State Bank of India

Signature/Thumb impression of Applicant   Seal & Signature of Registering Authority

जिस परिवार की जानकारी देखना चाहते हैं उसका पूरा विवरण खुलेगा। ऊपर से नीचे तक जानकारी को देखते जाएं

स्क्रीन शॉट 51

Requested Period of Employment

S.No	Demand Id	Name of Applicant	Month & Date from which employment requested	No of Days
1	7672	कलिया	01/06/2007~~15/06/2007~~15	15
2	7673		16/06/2007~~30/06/2007~~15	15
3	7674		16/01/2008~~31/01/2008~~16	16
4	23218		16/05/2008~~31/05/2008~~16	16
5	23647		01/06/2008~~15/06/2008~~15	15

‘क्या काम व कितने दिन काम किया’ नीली लाइन पर क्लिक करने से मस्टररोल खुलेगा

Period and Work on which Employment Offered

S.No	Demand Id	Name of Applicant	Month & Date from which employment requested	No of Days	Work Name
1	23218	कलिया	16/05/2008~~31/05/2008~~16	98	चिडियारा तालाब बंधाई व खुदाई कार्य
2	23647		01/06/2008~~15/06/2008~~15	98	चिडियारा तालाब बंधाई व खुदाई कार्य
3	222636		16/01/2009~~31/01/2009~~16	77	चिडियारा से धोलिया खला तक ग्रेवल सडक 2.8 किमी

Period and Work on which Employment Given

S.No	Name of Applicant	Month & Date from which employment requested	No of Days	Work Name	MSR No.	Total Amount of Work Done	Payment Due
1	कलिया	16/05/2008	14	चिडियारा तालाब बंधाई व खुदाई कार्य	463727	1400	1400
2	कलिया	01/06/2008	12	चिडियारा तालाब बंधाई व खुदाई कार्य	284380	1200	1200
3	कलिया	16/01/2009	12	चिडियारा से धोलिया खला तक ग्रेवल सडक 2.8 किमी	528866	1200	0

किसका कितना भुगतान मिला उसकी जानकारी मिलेगी

स्क्रीन शॉट 52

भुगतान की जानकारी देख कर लाभार्थी यह जान सकता है कि किस पखवाडे का किस मोस्टरोल संख्या का, कितना पैसा बकाया है जो ऑन लाइन रिकॉर्ड में भुगतान दिखा रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में उसके खाते में जमा नहीं हुआ है। इस जानकारी को साक्ष्य के रूप में सलंग्न करते हुए निम्न स्तरों पर कार्यवाही कर सकते हैं।

1. विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र
2. राजस्थान संपर्क पर लिखित में पूरी जानकारी लिखकर स्केन करते हुए शिकायत दर्ज कराना
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा,
4. जिला कलक्टर को लिखित में अवगत कराना

4. कार्य स्थल पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होना

विकास अधिकारी को श्रमिकों द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए मांग करें। कार्यवाही नहीं होने पर राजस्थान संपर्क पर शिकायत करें।

5. बीपीएल, एससी, एसटी, सीमांत किसान परिवार भूमि विकास कार्य से वंचित

तीनों श्रेणियों के वंचित परिवारों का भूमि विकास कार्यक्रम में नाम शामिल कराने हेतु अलग-अलग व सामूहिक प्रस्ताव लिखें। ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक व ग्राम सभा में रखते हुए प्लान में शामिल करवाने की मांग करें। ■

7. निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकः हिताधिकारी से संबंधित योजनाएं

लाभार्थीः मकान बनाने, कमठा के सभी प्रकार के काम करने वाले मजदूर, कारीगर, महात्मा गांधी नरेगा में 90 दिन काम करने वाले मजदूर अपना पंजीयन ई-मित्र के मार्फत करवा सकते हैं।

दस्तावेजः आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, स्वयं का फोटो, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो; कमठा मजदूर या कारीगर ने 90 दिन काम किया इसका प्रमाण पत्र ठेकेदार, कारीगर अथवा जिस का मकान बनाया है उस मकान मालिक से लें; महात्मा गांधी नरेगा में 90 दिन काम का प्रमाण पत्र ग्राम सेवक से लें।

आवेदन प्रक्रियाः पंजीयन व लाभ के लिए ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है। श्रमिक स्वयं एसएसओ आईडी बनाकर पांच श्रमिकों का पंजीयन कर सकता है। लाभ की स्वीकृति पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा की जाती है।

मुख्य लाभः

छात्रवृत्तिः कक्षा 6 से 8 में पढने वाले लड़कों को रू. 8000 तथा लड़कियों व दिव्यांग व्यक्तियों को रू 9000 प्रतिवर्ष, कक्षा 9 से 12 में पढने या आई.टी.आई. करने वाले लडकों को रू. 9000 व लडकियों व दिव्यांग व्यक्तियों को रू. 10,000 वार्षिक, डिप्लोमा करने वाले लडकों को रू. 10,000 व लडकियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को रू. 11,000 वार्षिक; स्नातक (सामान्य) लड़कों को रू. 13,000 तथा लड़कियों व दिव्यांग व्यक्तियों को रू. 15,000, स्नातक (प्रोफेशनल) लडकों को रू. 18,000 तथा लडकियों व दिव्यांग व्यक्तियों को रू. 20,000, स्नातकोत्तर (सामान्य) लडकों को रू. 15,000 तथा लडकियों व दिव्यांग व्यक्तियों को रू. 17,000, स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल) लडकों को रू. 23,000 तथा लडकियों व दिव्यांग व्यक्तियों को रू. 25,000 वार्षिक लाभ

मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशिः कक्षा 8 से 9 वीं तक 75 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होने पर रू. 4,000, कक्षा 11 से 12 तक रू. 6,000; डिप्लोमा पर रू. 10,000, स्नातक सामान्य रू. 8,000, प्रोफेशनल रू. 25,000, स्नातकोत्तर सामान्य रू. 12,000, प्रोफशनल रू. 35,000 तथा सभी में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने या उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि

प्रसूति लाभः महिला हिताधिकारी श्रमिक को दो संस्थागत प्रसव की दिनांक से 90 दिन के अंदर आवेदन करने पर लडकी के जन्म पर रू. 21,000 तथा लडके जन्म पर रू. 20,000

शुभशक्ति योजनाः हिताधिकारी के पंजीयन का एक वर्ष पूर्ण होने के बाद अधिकतम दो पुत्रियों व महिला हिताधिकारी को एक पुत्री या स्वयं महिला हिताधिकारी के अविवाहित होने पर व पुत्रियों के अविवाहित एवं आयु 18 साल पूरी होने तथा आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर रू. 55,000

दुर्घटना बीमाः दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को रू. 5 लाख, सामान्य मृत्यु होने पर आश्रितों को रू. 2 लाख, दुर्घटना में पूर्ण अपंगता होने पर रू. 3 लाख, अस्थाई अपंगता पर एक लाख, गंभीर रूप से घायल होने पर रू. 20 हजार तथा समान्य घायल अवस्था में रू. 5 हजार का मुआवजा

परिवार का स्वास्थ्य बीमाः जिन हिताधिकारियों को सस्ता राशन मिलता है, वे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के तहत सामान्य बीमारी के लिए 30 हजार तथा गंभीर बीमारी के इलाज के लिए रू. 3 लाख तक लाभ ले सकते हैं। पंजीकृत

हिताधिकारी खाद्य सुरक्षा से जुडाव के लिए ई-मित्र से ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। आवास हेतु लॉन में अनुदान, पेंशन योजना, औजार खरीद के लिए अनुदान का लाभ इत्यादि

मुद्दे व समाधान प्रक्रिया

1. **योजना व लाभ की जानकारी योग्य लाभार्थियों को नहीं**
   समुदाय बैठकों, ग्राम सभाओं एवं केंद्र पर आने वाले लोगों को योजना, लाभ व आवेदन की पूरी जानकारी दें।
2. **कमठा व महात्मा गांधी नरेगा में 90 दिन का काम करने के बावजूद पंजीयन नहीं**
   मकान निर्माण के सभी कार्य करने वाले मजदूरों, महात्मा गांधी नरेगा में एक वित्तीय वर्ष में 90 दिन मजदूरी करने वाले परिवरों की ऑनलाइन सूची निकाल कर आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, स्वयं की दो फोटो व कारीगर, ठेकेदार या मकान मालिक से 90 दिन कार्य करने का प्रमाण निर्धारित प्रपत्र में भर कर ऑनलाइन आवेदन करें।
3. **जानकारी नहीं होने के कारण लाभ के लिए आवेदन नहीं**
   समुदाय बैठकों व ग्रामसभाओं में लाभ की जानकारी देते हुए योग्यता की पहचान करें। आवेदन करवाने में मदद करें। आवेदन से लाभ तक स्थिति देखें। आब्जेक्शन होने पर संशोधन कराएं। केंद्र पर आने वाले परिवारों को लाभ, आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देकर ऑनलाइन आवेदन में मदद करें।
4. **लाभ के लिए आवेदन करने पर लाभ नहीं मिलना व आवेदन की स्थिति की जानकारी नहीं**
   राजस्थान संपर्क पर शिकायत करें। 15 दिन पश्चात स्थिति देखें। सही समाधान नहीं होने पर पुनः पूर्व की शिकायत का हवाला देते हुए शिकायत करें।

ई-मित्र से अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी बनाकर हिताधिकारी योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व योजना पैकेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद उसकी स्वीकृति का स्टेटस देख सकते हैं। एसएसओ आईडी से एक व्यक्ति पांच श्रमिकों का पंजीयन कर सकता है तथा साथ ही ई-मित्र की सभी सेवाओं के लिए स्वयं आवेदन कर सकता है। एसएओ आईडी बनाने के लिए आवेदक का मोबाइल फोन नंबर आधार से लिंक होना चाहिए।
जानते हैं कि अपनी एसएओ आईडी कैसे बनाएं -

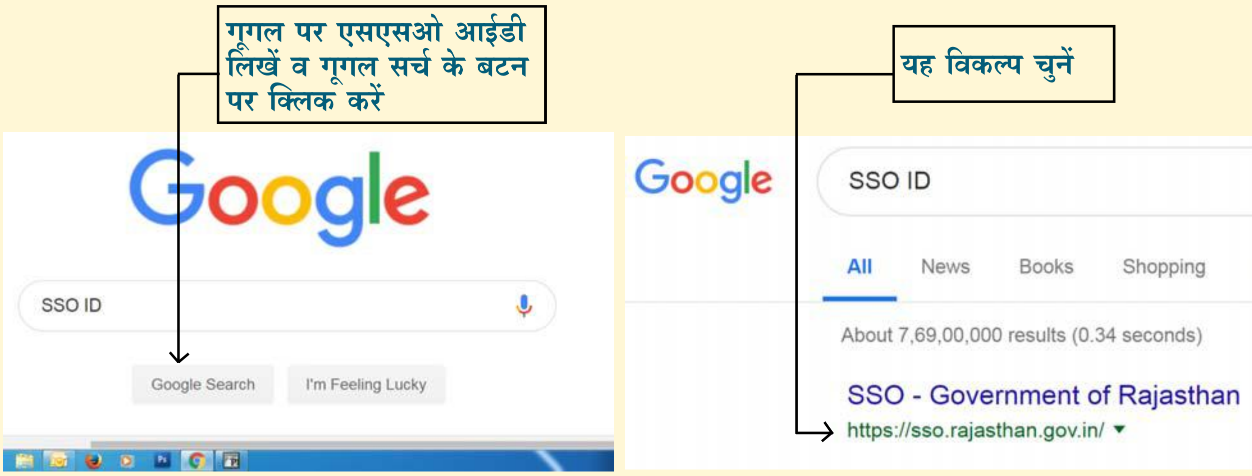

पूर्व में बना हुआ है, तथा उसे खोलना है, तो लॉगइन पर क्लिक करें

नई आईडी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें

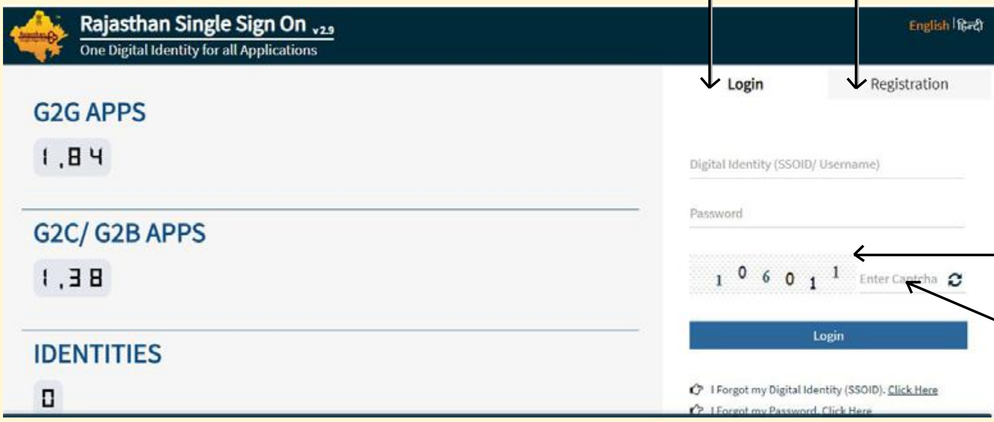

पहले से बने आईडी को ऑपन करने के लिए पासवर्ड डालें। नए रजिस्ट्रेशन के लिए आगे की प्रक्रिया में पासवर्ड बनाना होगा।

यह संख्या यहां छापें

स्क्रीन शॉट 53

सीटीजन पर क्लिक करें

जिस प्लेटफार्म के उपयोग से आईडी बनानी है, उसका चयन करें। आम नागरिक के लिए आधार से बनाना सरल होगा। आधार पर क्लिक करें।

बायो मैट्रिक सत्यापन या ओटीपी सत्यापन करना होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए मशीन की जरूरत होगी, आम नागरिक के लिए ओटीपी विकल्प सरल है।

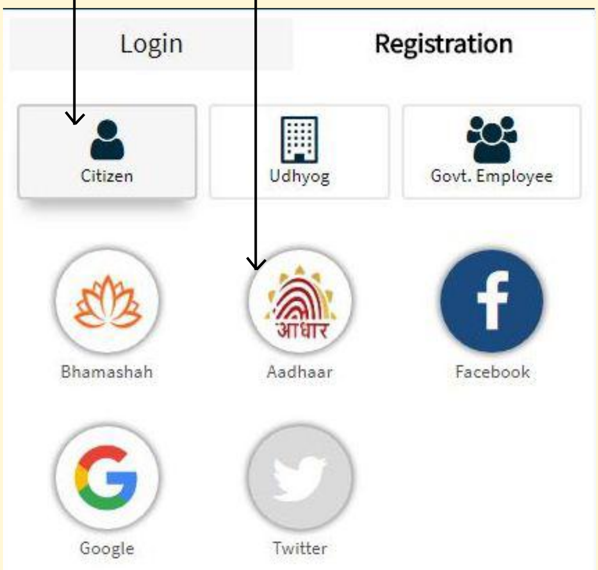

स्क्रीन शॉट 54

स्क्रीन शॉट 55

आधार के साथ लिंक मोबाइल फोन पर वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) नंबर आएंगे। अगले स्टेप में ओटीपी नंबर डाल कर क्लिक करें। नाम और पासवर्ड का विकल्प पूरा करें। पासवर्ड याद रखना होगा। हर बार एसएओ आईडी खोलने के लिए पासवर्ड डालना होगा।

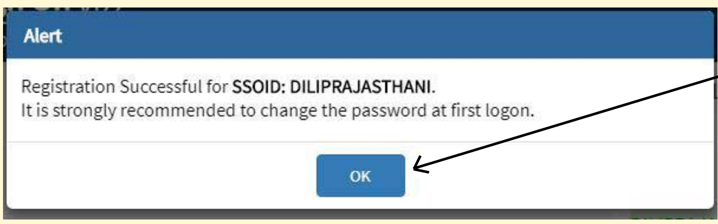

एसएसओ आईडी सफलतापूर्वक बनने का मेसेज आएगा। ओके को दबाएं तथा अपनी प्रोफाइल बनाएं। नाम, पता, आयु, फोन नंबर आदि दर्ज करें।

← स्क्रीन शॉट 56

एसएसओ आईडी बन जाने के बाद सरकारी सेवाओं व योजनाओं की सूची प्रदर्शित होगी। अनेक योजनाएं हैं, जिनका लाभ लेने या सेवाएं लेने के लिए नागरिक स्वयं आवेदन कर सकेगा। यहां हम हिताधिकारी योजना में स्वयं श्रमिक कैसे आवेदन करे, उसको जानते हैं।

यहां क्लिक करने पर सेवाओं का विंडो खुलेगा

स्क्रीन शॉट 57

लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुलेगी।
BOCW Welfare Board पर क्लिक करें।

स्क्रीन शॉट 58

हिताधिकारी में पंजीयन का ऑनलाइन फार्म खुलेगा, जिसमें अपेक्षित जानकारी भरें

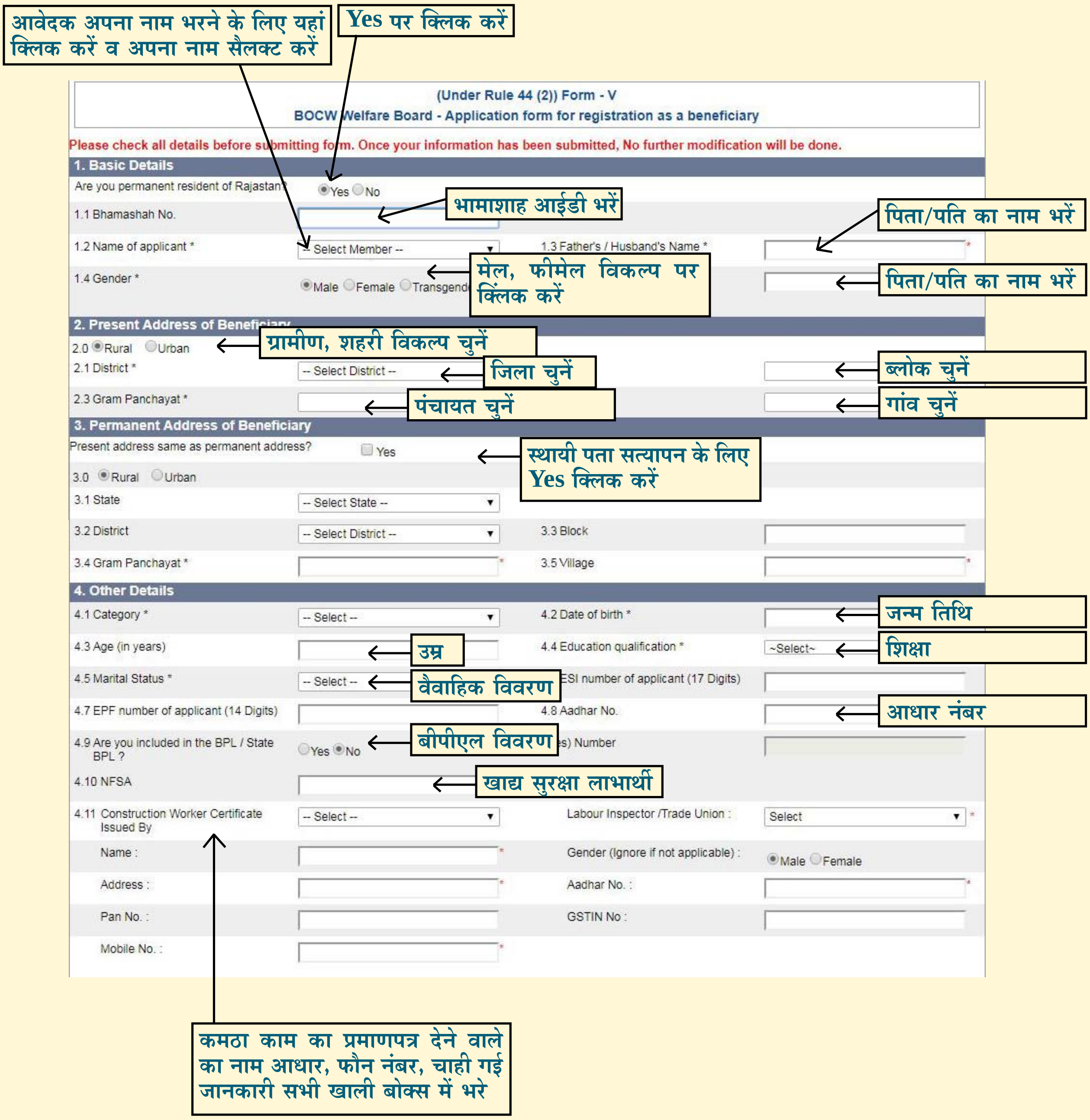

स्क्रीन शॉट 59

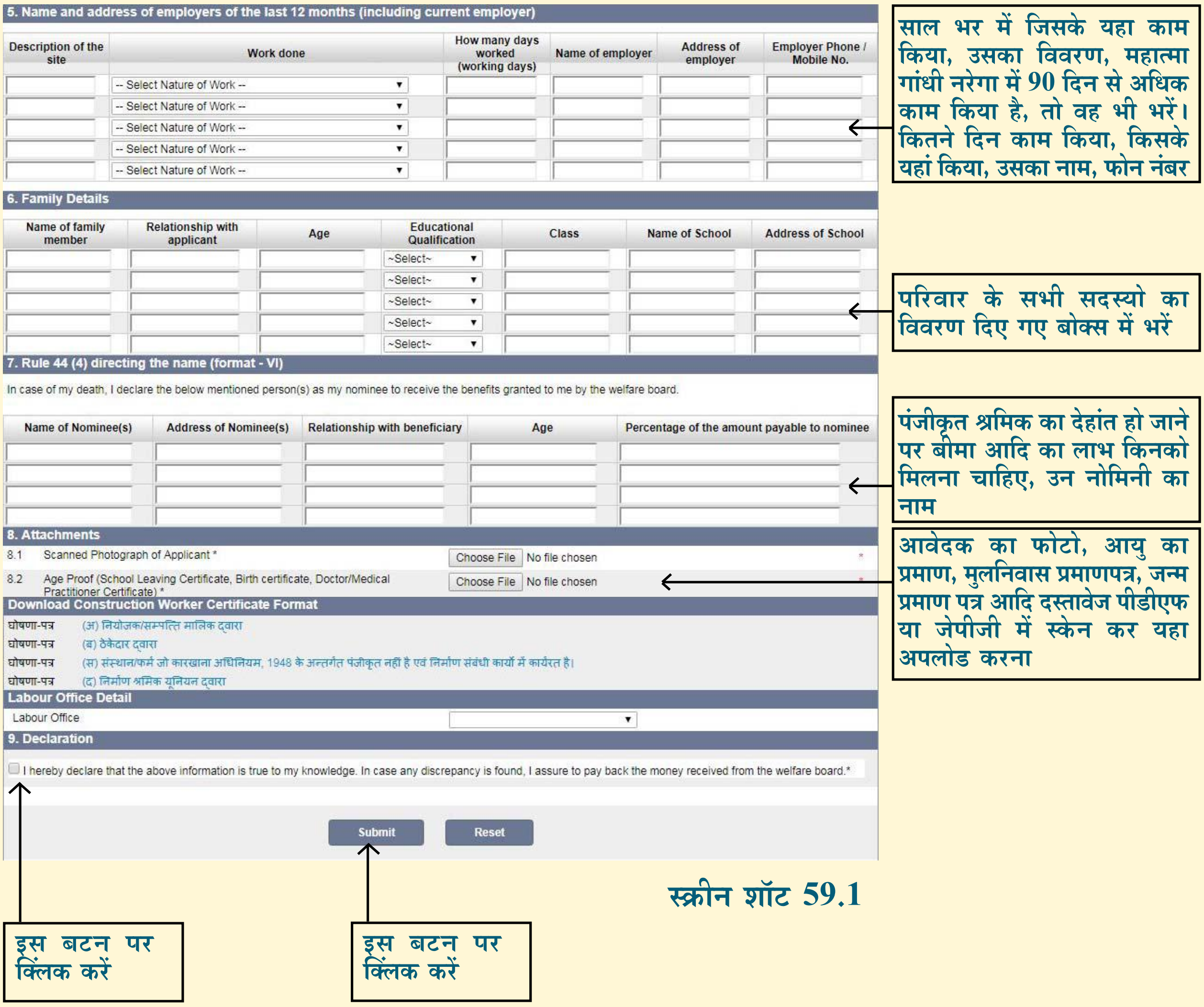
5. Name and address of employers of the last 12 months (including current employer)

Description of the site	Work done	How many days worked (working days)	Name of employer	Address of employer	Employer Phone / Mobile No.
	-- Select Nature of Work --				
	-- Select Nature of Work --				
	-- Select Nature of Work --				
	-- Select Nature of Work --				
	-- Select Nature of Work --				

6. Family Details

Name of family member	Relationship with applicant	Age	Educational Qualification	Class	Name of School	Address of School
			~Select~			
			~Select~			
			~Select~			
			~Select~			
			~Select~			

7. Rule 44 (4) directing the name (format - VI)

In case of my death, I declare the below mentioned person(s) as my nominee to receive the benefits granted to me by the welfare board.

Name of Nominee(s)	Address of Nominee(s)	Relationship with beneficiary	Age	Percentage of the amount payable to nominee

8. Attachments

8.1 Scanned Photograph of Applicant * Choose File No file chosen

8.2 Age Proof (School Leaving Certificate, Birth certificate, Doctor/Medical Practitioner Certificate) * Choose File No file chosen

Download Construction Worker Certificate Format

घोषणा-पत्र (अ) नियोजक/सम्पत्ति मालिक द्वारा

घोषणा-पत्र (ब) ठेकेदार द्वारा

घोषणा-पत्र (स) संस्थान/फर्म जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है एवं निर्माण संबंधी कार्यों में कार्यरत है।

घोषणा-पत्र (द) निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा

Labour Office Detail

Labour Office

9. Declaration

I hereby declare that the above information is true to my knowledge. In case any discrepancy is found, I assure to pay back the money received from the welfare board.*

Submit Reset

स्क्रीन शॉट 59.1

आवेदन के बाद उसकी स्थिति देखते रहें तथा आवेदक को अवगत करवाते हुए उसे निस्तारण स्तर तक पहुंचाएं।

5. पंजीकृत हिताधिकारी खाद्य सुरक्षा लाभ से वंचित हैं

पंजीकृत हिताधिकारी प्रमाण पत्र एवं आधार, भामाशाह, राशन कार्ड की प्रति स्केन कर जुडाव के लिए ऑनलाईन अपील करें। ■

8. मातृत्व संबंधी प्रमुख योजनाएं

जननी शिशु सुरक्षा योजनाः गर्भवती महिला का उप स्वास्थ्य केंद्र या नजदीक के हॉस्पिटल में पंजीयन होने, ममता कार्ड व उसमें ली सेवाओं को दर्ज कराने एवं संस्थागत प्रसव होने पर रू. 1,400 एवं आवागमन किराया अलग से देय है। माता अथवा शिशु के प्रसव के तीस दिन तक बीमार होने पर आवागमन किराया, जांच, ईलाज निःशुल्क है।

प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजनाः माता एवं शिशु के स्वास्थ्य की संपूर्ण देखभाल व सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए रू. 5,000 तीन किश्तों में मिलते हैं। प्रथम किश्त रू. 1,000 गर्भवस्था के प्रथम 150 दिन में पंजीयन व ममता कार्ड बनवाने पर, दूसरी किश्त रू. 2,000 गर्भावस्था में तीन जांच में से कम से कम एक जांच कराने, ममता कार्ड में दर्ज कराने पर मिलती है; तीसरी किश्त रू. 2,000 शिशु का जन्म पंजीयन एवं संपूर्ण टीकाकरण करवाने पर; आवेदन आंगनवाडी के मार्फत करवाना है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजनाः घटते लिंग अनुपात व सामाजिक लिंग भेद में समानता के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान के तहत प्रोत्साहन स्वरूप इस योजना का लाभ माता को दिया जाता है। संस्थागत प्रसव से लड़की का जन्म होने पर पहली किश्त रू. 2,500, लड़की के एक वर्ष पूर्ण होने व संपूर्ण टीकाकरण कराने पर रू. 2,500 की दूसरी किश्त, लड़की के विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश होने पर रू. 4,000 की तीसरी किश्त, कक्षा 6 में प्रवेश होने पर रू. 5,000 चौथी किश्त, 10 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर रू. 11,000 की पांचवीं किश्त व 12 वीं पास करने पर रू. 25,000 का लाभ। कुल मिलाकर 50 हजार रू. का लाभ है।

मुद्दे व समाधान की प्रक्रिया

1. **प्रसव के दौरान भामाशाह व बैंक खाता पासबुक के साथ में नहीं होने के कारण तुरंत लाभ नहीं मिला**
   ममता कार्ड, हॉस्पिटल डिस्चार्ज पर्ची, भामाशाह व बैंक खाता पासबुक की फोटो प्रति सलंग्न कर संबंधित पीएचसी, सीएचसी प्रभारी को प्रेषित करें। राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करें।
2. **निजी चिकित्सा केंद्रों पर दस्तावेज जमा कराने के बाद भी लाभ नहीं मिला**
   ममता कार्ड, हॉस्पिटल डिस्चार्ज पर्ची, भामाशाह, बैंक खाता पासबुक की फोटो प्रति सलंग्न कर प्रार्थनापत्र खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करें। कार्य नहीं होने पर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर सभी दस्तोवज स्केन कर शिकायत दर्ज करें।
3. **प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना की जानकारी नहीं होने के कारण लाभ की मांग नहीं**
   समुदाय बैठकों, ग्रामसभाओं, मातृ शिशु स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, आंगनवाड़ी व स्वास्थ्य समिति बैठकों में लाभ की जानकारी दें व योग्य लोगों की पहचान कर आवेदन कराएं।
4. **जानकारी नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री राजश्री योजना की दूसरी किश्त का लाभ नहीं मिला**
   सरपंच/एएनएम से लड़की का जीवितता प्रमाण पत्र, संपूर्ण टीकाकरण दर्ज ममता कार्ड की फोटो प्रति सलंग्न कर निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पीएचसी/सीएचसी प्रभारी को आवेदन करें। कार्यवाही नहीं होने पर राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करें। तीसरी व आगे की सभी किस्तों का लाभ लेने के लिए दो जीवित संतान होने का शपथपत्र एवं विद्यालय प्रवेश एवं उत्तीर्ण की अंकतालिका सलंग्न कर आवेदन करें। ■

9. प्रधान मंत्री आवास योजना

लाभार्थीः आर्थिक, सामाजिक, जातिगत जनगणना के आधार पर पात्र लोगों की सूची ग्रामसभाओं में अनुमोदन के बाद वरियता क्रम तय सूची में शामिल परिवार

मार्च व अप्रेल, 2018 में लिए गए आवेदन एवं ग्राम सभा अनुमोदन के बाद सरकार को भेजी गई सूची के आधार पर चयनित किए गए परिवार

नोटः ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृति के बाद आवास की वरियताक्रम एससी, एसटी, ओबीसी, अल्प संख्यक वर्ग के अनुसार बांटा जाता है।

लाभः आवास निर्माण हेतु लाभार्थी के बैंक खाते में तीन किश्तों में लाभ का हस्तांतरण; प्रथम किस्त आवास निर्माण प्रारंभ चालू करने के लिए रू. 30,000, मकान कुर्सी (प्लिंथ) लेवल तक बन जाने पर दूसरी किश्त रू 48,000 एवं मकान का पूर्ण निर्माण होने पर अंतिम किश्त रू. 42,000; पूर्व में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु सहायता राशि नहीं मिलने पर रू. 12,000 शौचालय निर्माण हेतु

तीनों स्तरों के निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत 6 नंबर प्रपत्र में आवेदन करने पर 90 दिन मजदूरी की सहायता रू. 192 प्रतिदिन की मजदूरी कर दर से रू. 17,280 का लाभ (कुर्सी लेवल तक 24 दिन, लेंटल लेवल तक 28 दिन, छत के लिए 10 दिन, फिनिसिंग के लिए 28 दिन

मुद्दे व समाधान प्रक्रिया

1. वरियता सूची की जानकारी नहीं, ग्राम पंचायत पर सूची का प्रदर्शन नहीं

आवास सॉफ्ट से वरियता सूची डाउनलॉड करके आवश्यकता अनुसार लोगों को सूचना दें। ग्राम पंचायत स्तर पर वरियता सूची डिस्प्ले कराए।

2. दूसरी व तीसरी किश्त समय पर नहीं मिली

निर्धारित कार्य पूरा होने पर किश्त के लिए विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र दें। संभव हो तो निर्माण कार्य का फोटो सलंग्न करें। कार्यवाही नहीं होने पर राजस्थान संपर्क पर शिकायत करें।

3. काम की मांग का आवेदन नहीं करने से महात्मा गांधी नरेगा की मजदूरी का लाभ नहीं मिला

समुदाय बैठकों, ग्राम सभा अथवा सामूहिक कार्यक्रमों में महत्मा गांधी नरेगा से मजदूरी का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दें। लाभार्थी के मांग के बावजूद आवेदन नहीं लेने व मस्टररोल जारी नहीं करने पर विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र दें। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

प्रधान मंत्री आवास योजना के मुद्दों के निस्तारण की कार्यवाही के लिए ऑनलाइन जानकारी काफी सहयोग करती है। जानते हैं पीएम आवास की जानकारी कोई भी नागरिक कैसे प्राप्त कर सकता है -

गूगल में AWAS लिखें

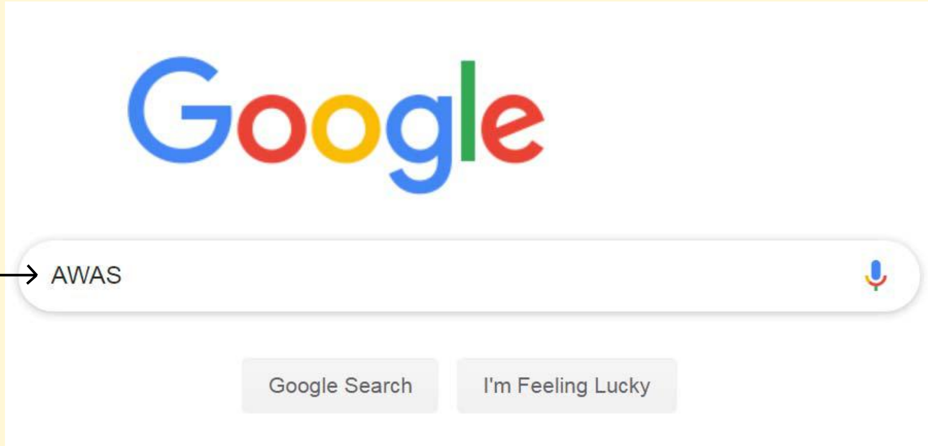

यह विकल्प खुलेगा, यहां क्लिक करें

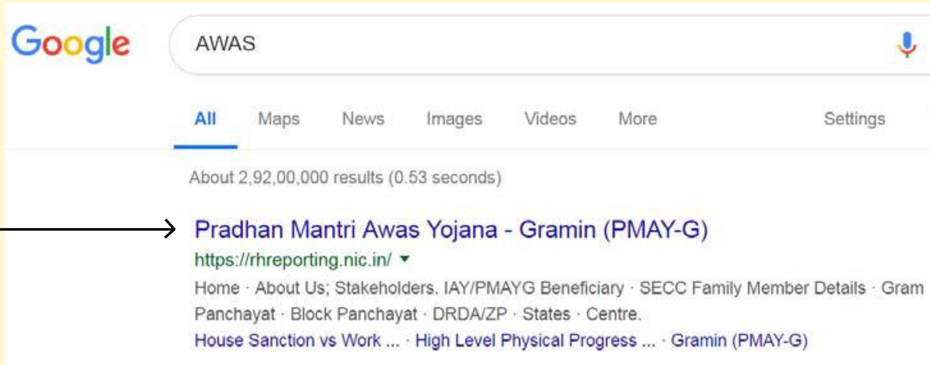

मंजूरी का वर्ष चुनें

योजना चुनें

राज्य चुनें

जिला चुनें

ब्लॉक चुनें

ग्राम पंचायत चुनें

यह विंडो खुलेगा, House Sanction VS Work Creation in MGNREGA पर क्लिक करें

स्क्रीन शॉट 60

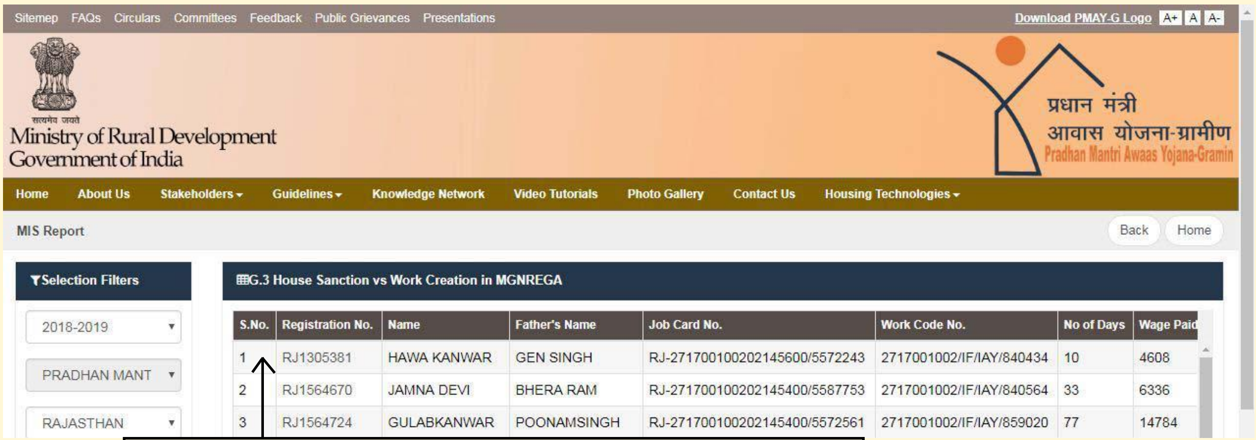

लाभार्थी वार सूची खुलेगी। इस सूची में लाभार्थी रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम, जॉब कार्ड नंबर, वर्क कोड नंबर, महात्मा गांधी नरेगा में कितने दिन का लाभ मिला व कितना भुगतान मिला, यह विवरण देख सकेंगे

स्क्रीन शॉट 61

रजिस्ट्रेशन कोड पर क्लिक करने से लाभार्थी की अन्य जानकारी देख सकेंगे

1. महात्मा गांधी नरेगा का कितने दिन का भुगतान मिला है, लाभार्थी यह जान सकता है, तथा शेष दिनों की मांग कर सकता है
2. अपनी किश्त के भुगतान का विवरण देख सकता है। आगे के किस्त की मांग कर सकता है।
3. ग्राम सवेक द्वारा मकान के निर्माण होने का फोटो अपलोड किया है या नहीं यह देख सकता है। जब तक फोटो अपलोड नहीं होगा, अगली किस्त जारी नहीं होगी। लाभार्थी ग्राम सेवक से फोटो अपलोड की मांग कर सकता है। ■

स्क्रीन शॉट 62

10. राजस्थान संपर्क

समस्या पीड़ित व्यक्तियों, समुदाय को समाधान के लिए विभागों तक नहीं जाना पड़े तथा स्वयं अथवा ई-मित्र के सहयोग से समस्या को दर्ज कराने एवं समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल एवं 181 टॉल फ्री नंबर की सुविधा दी गई है। इस माध्यम से लिखित व फोन द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है तथा निस्तारण की स्थिति को देखा जा सकता है। निस्तारण संबंधी कार्यवाही के बाद शिकायतकर्ता को फोन से निस्तारण की संतुष्टि के बारे में पूछा जाता है तथा असंतुष्ट होने की स्थिति में शिकायत को ऊपरी अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर विद्यालय, आंगनवाडी, स्वास्थ्य केंद्र, पानी सप्लाई, हैंड पंप मरम्मत, विद्युत सप्लाई, महात्मा गांधी नरेगा, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि की अनियमितता, अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा सरकारी विभागों से संबंधित कामकाज, योजनाओं के लाभ से संबंधित ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराने और निस्तारण स्तर तक पहुंचाने का माध्यम है।

शिकायत दर्ज होने की तारीख से 15 दिन में किसी प्रकार की सूचना नहीं आने पर 181 पर शिकायत नंबर बताकर स्थिति को जाना जा सकता है तथा शिकायत पर कार्यवाही की मांग की जा सकती है। शिकायत पर हुई कार्यवाही को देखा जा सकता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लिखित में शिकायत कैसे दर्ज करें -

गूगल पर राजस्थान संपर्क लिख कर लिंक खोजें

स्क्रीन शॉट 63

राजस्थान संपर्क पर क्लिक करें

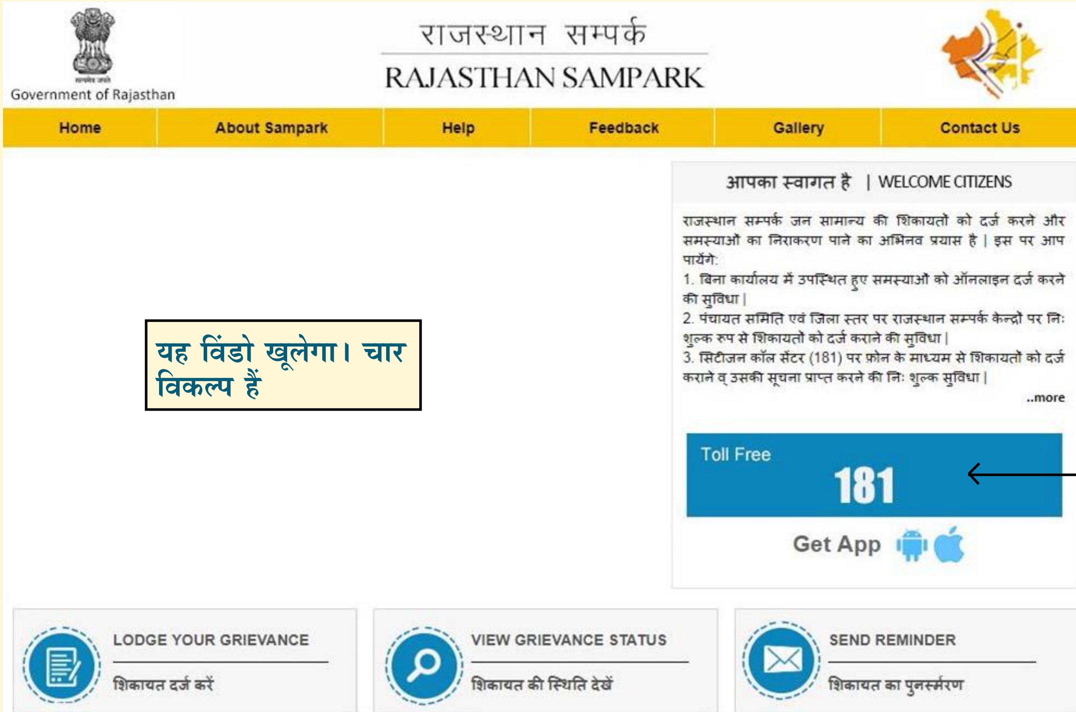

यह विंडो खुलेगा। चार विकल्प हैं

181 पर फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं

स्क्रीन शॉट 64

यहां क्लिक कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं

यहां क्लिक कर शिकायत की स्थिति को जान सकते हैं

यहां क्लिक करके पुनःस्मरण करा सकते हैं

यहां क्लिक कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं

स्क्रीन शॉट 65

स्क्रीन शॉट 66

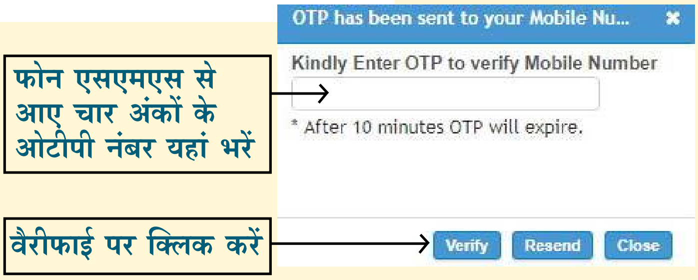

यह कार्यवाही करने पर राजस्थान संपर्क का प्रपत्र खुलेगा। उसमें अलग-अलग प्रकार की जानकारी भरनी है। लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, आईडी प्रूफ नंबर में आधार, भामाशाह, राशन कार्ड नंबर, बैंक खाता आदि नंबर डाल सकते हैं।

शिकायतकर्ता का पता - जिला, तहसील, ब्लॉक, पुलिस थाना, विधनसभा क्षेत्र बॉक्स पर क्लिक कर उचित विकल्प चुनें। क्या समाधान चाहते हैं वाले बॉक्स में उचित समाधान लिखें। विभाग, योजना के विकल्प चुनें। लिखित दस्तावेज पीडीएफ फाइल में स्केन कर डॉक्युमेंट अटेच वाला विकल्प चुनें व फाइल अपलोड करें। शिकायत की सत्यता का विकल्प चुनें। सबमिट का ऑप्सन चुनकर शिकायत का पंजीयन करें। सबमिट करने के बाद कंप्युटर स्क्रीन व मोबाइल फोन नंबर पर शिकायत नंबर दिखाई देंगे जिन्हें लिख कर रखना चाहिए। शिकायत की स्थिति देखने एवं पुनः शिकायत करने पर पहले के शिकायत नंबर काम आते हैं।

शिकायत की स्थिति ऐसे देखें - शिकायत नंबर से 181 पर फोन कर पूछ सकते हैं। ऑन लाइन भी देख सकते हैं।

स्क्रीन शॉट 67

Rajasthan Sampark | Rajasthan Sampark

sampark.rajasthan.gov.in/Admin/CompStatusNew.aspx?enc=Q09NUElEPTM2NzQ3NCZHUk5PPTAxMTUwNzkzNjczNDMr

राजस्थान सम्पर्क

RAJASTHAN SAMPARK

Detail

Action History

#	From	To	Action	Date	Remarks	Doc.
1	शान्ति देवी / 9983655255	-	Grievance Registered	25-Jan-2015	Grievance Registered on 25-Jan-2015	-
2	Rural Development & Panchayati Raj , Chief Executive Officer , (Administration) , Zila Parishad, Jodhpur	Rural Development & Panchayati Raj , Block Development Officer , (Administration) , BDO, Phalodi	Allocated	28-Jan-2015	प्रकरण मे नियमानुसार कार्यवाही कर,प्रार्थी को लिखित मे अवगत करावे एवं की गयी कार्यवाही शीघ्र अपलोड करे ा	-
3	Rural Development & Panchayati Raj , Block Development Officer , (Administration) , BDO, Phalodi	Rural Development & Panchayati Raj , Chief Executive Officer , (Administration) , Zila Parishad, Jodhpur	Reply (To be Disposed)	12-Feb-2015	श्रीमान जी की गई कार्यवाही अपलोड करवा कर और प्रार्थी को लिखित मे सूचित कर दिया हैं अत प्रकरण निरस्त फरमावे	
4	Rural Development & Panchayati Raj , Chief Executive Officer , (Administration) , Zila Parishad, Jodhpur	Rural Development & Panchayati Raj , Block Development Officer , (Administration) , BDO, Phalodi	Allocated(R)	12-Feb-2015	प्रार्थी को लिखित मे सूचित किये गये पत्र की प्रति शीघ्र अपलोड करे ा	-
5	Rural Development & Panchayati Raj , Block Development Officer , (Administration) , BDO, Phalodi	Rural Development & Panchayati Raj , Chief Executive Officer , (Administration) , Zila Parishad, Jodhpur	Reply (To be Disposed)	12-Feb-2015	श्रीमान जी प्रार्थी की लिखित मे प्रति अपलोड कर दी गई है जिसकी प्रति संलग्न है अत प्रकरण निरस्त फरमावे	
6	Rural Development & Panchayati Raj , Chief Executive Officer , (Administration) , Zila Parishad, Jodhpur	-	Disposed Relief	11-Jul-2015	इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 13632-635 दिनांक 10-07-2015 के द्वारा द्वितीय किश्त की राशि हस्तानान्तरण की स्वीकृति जारी की गयी, राशि भुगतान करने की प्रकिया जारी है ाअत प्रकरण का निस्तारण किया जाता है ा	-

फोन नंबर से कार्यवाही का पूरा विवरण देख सकते हैं

कार्यवाही का लिखित दस्तावेज अपलोड कर सकते है

स्क्रीन शॉट 68

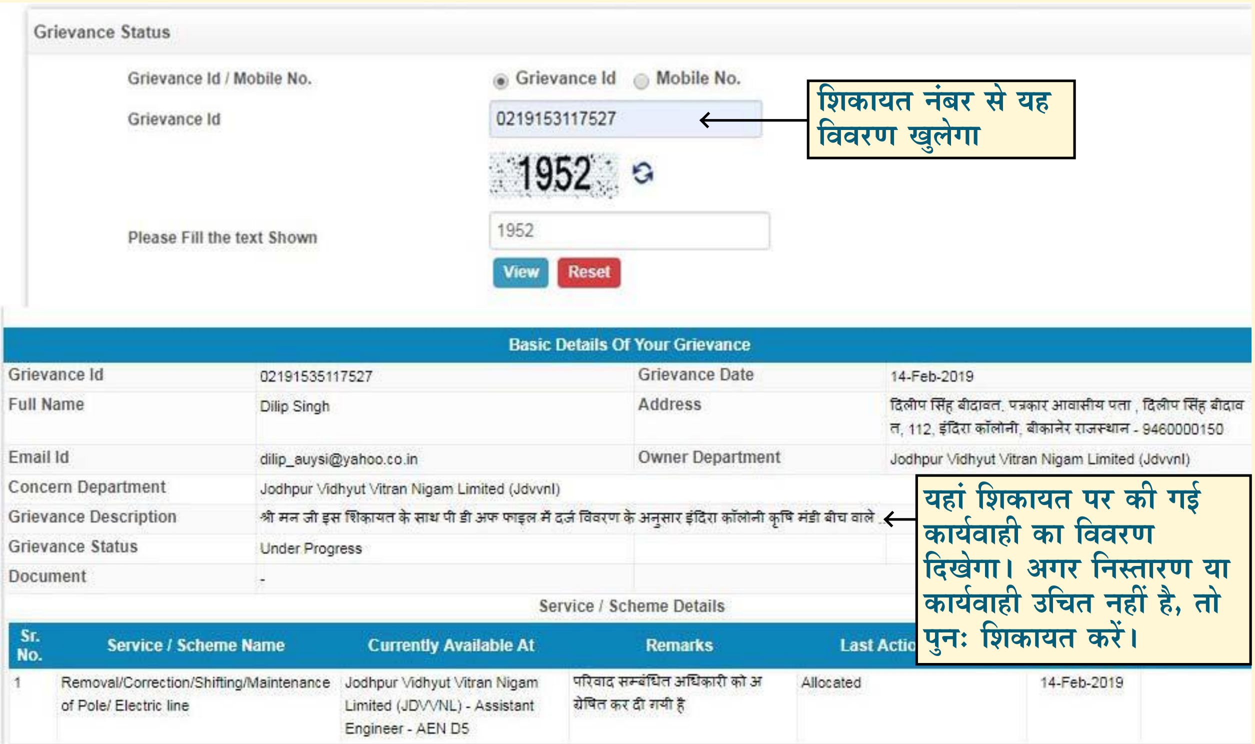

Grievance Status

Grievance Id / Mobile No. — Grievance Id / Mobile No.

Grievance Id — 0219153117527

1952

Please Fill the text Shown — 1952

View Reset

Basic Details Of Your Grievance

Grievance Id	02191535117527	Grievance Date	14-Feb-2019
Full Name	Dilip Singh	Address	दिलीप सिंह बीदावत, पत्रकार आवासीय पता , दिलीप सिंह बीदावत, 112, इंदिरा कॉलोनी, बीकानेर राजस्थान - 9460000150
Email Id	dilip_auysi@yahoo.co.in	Owner Department	Jodhpur Vidhyut Vitran Nigam Limited (Jdvvnl)
Concern Department	Jodhpur Vidhyut Vitran Nigam Limited (Jdvvnl)		
Grievance Description	श्री मन जी इस शिकायत के साथ पी डी अफ फाइल में दर्ज विवरण के अनुसार इंदिरा कॉलोनी कृषि मंडी बीच वाले ...		
Grievance Status	Under Progress		
Document	-		

Service / Scheme Details

Sr. No.	Service / Scheme Name	Currently Available At	Remarks	Last Actio		
1	Removal/Correction/Shifting/Maintenance of Pole/ Electric line	Jodhpur Vidhyut Vitran Nigam Limited (JDVVNL) - Assistant Engineer - AEN D5	परिवाद सम्बंधित अधिकारी को अ ग्रेषित कर दी गयी है	Allocated	14-Feb-2019	

स्क्रीन शॉट 69

राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करने के बाद प्रत्येक 15 दिनों में उसका विवरण देख कर आगामी निर्णय लेने से समस्या समाधान स्तर तक पहुंच सकती है। फोन नंबर से शिकायत की स्थिति देख कर एवं लिखित में कार्यवाही विवरण को अपलोड कर, कार्यवाही अनुचित की गई है तो उसका प्रिंट लेकर, स्केन कर उसका सही जवाब लिखते हुए पुनः शिकायत करें।

मुद्दे व समाधान की प्रक्रिया

1. शिकायतों के निस्तारण कार्यवाही की लाभार्थी को जानकारी नहीं मिलना

शिकायत की स्थिति देखने वाले ऑप्सन में शिकायत नंबर डालकर स्थिति देखें (शिकायत करने के 15 दिन बाद)

2. शिकायत का असंतोषजनक निस्तारण करते हुए शिकायत को बंद कर देना

शिकायत स्थिति में लिखी गई कार्यवाही को अपलोड कर उसका उचित जवाब लिखते हुए पुनः शिकायत करें। ■

11. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत कोई भी नागरिक, संगठन, समूह, संस्थान सरकारी विभागों से व्यक्गित लाभ, सार्वजनिक कार्य, कार्यों की प्रक्रिया, वित्तीय प्रावधान एवं व्यय आदि किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी में पहचानी गई अनियमितता अथवा ग़डबडियों की जांच व कार्यवाही हेतु साक्ष्य सहित ऊपरी अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं जिससे व्यवस्थाओं में सुधार की संभावना बढ सके एवं सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

सूचना के अधिकार अधिनियम एवं सूचना प्राप्त करने की प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होने के कारण या तो व्यक्ति आवेदन नहीं कर पाता है या प्रक्रियाएं ठीक से नहीं कर पाने के कारण जानकारी नहीं मिल पाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम एवं उसके प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। इससे लेगों को अधिकाधिक मदद ही जा सकेगी।

सूचना का अधिकार कानून के तहत सभी केंद्र एवं राज्यों के राजकीय विभागों, निकायों, निगमों में लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। किसी भी प्रकार की सूचना मांगने के लिए संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को लिखित आवेदन में स्वयं पेश होकर, डाक द्वारा अथवा ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ रू. 10 का पोस्टल ऑर्डर या बैंक डीडी द्वारा शुल्क देना होता है। बीपीएल चयनित व्यक्ति को शुल्क नहीं देना होता। आवेदन के साथ बीपीएल नंबर एवं प्रमाण-पत्र सलंग्न करना होता है। सूचना चाहने वाला व्यक्ति स्वयं विभाग में पेश होकर आवेदन करता है तो रू. 10 नगद जमा करा कर रसीद प्राप्त कर सकता है। साथ ही लोक सूचना अधिकारी से आवेदन की पावती लेना जरूरी होता है।

साधारण ए-4 के कागज में चाही गई सूचना का स्पष्ट उल्लेख करते हुए हाथ से लिखकर या कंप्युटर से टाइप करके आवेदन किया जा सकता है। इसका प्रारूप सलंग्न है तथा प्रारूप के अनुसार बिंदुवार जानकारी भरने में सहायता ली जा सकती है।

नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन पत्र तैयार कर सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि आवेदन डाक से कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड डाक से करें एवं रजिस्टर्ड डाक की रसीद संभाल कर रखें जो आगे प्रथम एवं द्वितीय अपील में साक्ष्य के तौर पर सलंग्न करनी होगी। यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड डाक लेने से इन्कार किया जाता है एवं पोस्ट ऑफिस द्वारा डाक लौटाई जाती है तो, पोस्टमेन से लिफाफे पर यह जरूर लिखवाएं की संबंधित अधिकारी ने डाक पत्र प्राप्त करने से इन्कार किया। उक्त लिफाफे की फोटो प्रति प्रथम व द्वितीय अपील के साथ सलंग्न करना आवश्यक होता है।

आवेदन किए जाने की तारीख से अगले 30 दिनों में सूचना उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। चाही गई सूचना में दस्तावेजों की फोटो प्रतियां व निरीक्षण करना है तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा बातया गया शुल्क अलग से आवेदक को देना होगा जिसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें।

आवेदन करने की तारीख से 30 दिन में सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी को प्रथम अपील की जाती है। संबंधित अधिकारी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने की दिनांक से अगले 30 दिनों में सूचना उपलब्ध कराए जाने संबंधी कार्यवाही नहीं करने पर द्वितीय अपील की जाती है। प्रथम व द्वितीय अपील का प्रारूप नीचे दिया गया है। प्रपत्र के अनुसार बिंदुवार जानकारी लिख कर की जानी चाहिए।

प्रथम/द्वितीय अपील

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा 19 के अन्तर्गत)

प्रेषिति

....

कार्यालय ....

....

1. अपीलार्थी का नाम और पता :–

....

....

2. राज्य के लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता :–

....

3. जिस आदेश के विरूध्द अपील की गई उसकी क्रमसंख्या व दिनांक

....

4. अपील किये जाने के संक्षिप्त तथ्य :– ....

5. अपील का आधार :– ....

6. अन्य विवरण ....

....

7. अपीलार्थी का सत्यापन :– मैं ....यह सत्यापित करता हूं कि अपील के अनुच्छेद एक से छ में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में पूर्णतया सत्य एवं सही है और मैने कुछ नहीं छिपाया है तथा इसी विषय पर मैने पूर्व में अपील नहीं की है।

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

स्थान:–

दिनांक:–

समय:–

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की लिस्ट :–

1. सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन जो लोक सूचना अधिकारी को दिया है की प्रति।
2. उस आदेश की अनुप्रामाणित सत्य प्रतिलिपि जिसके विरूध्द अपील की जा रही है। यदि द्वितीय अपील है तो प्रथम अपील की प्रति भी संलग्न की जावे।
3. अपीलार्थी द्वारा अविलम्ब लिये गये और अपील में निर्देशित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां।
4. अपील में निर्दिष्ट किये गये दस्तावेजों की अनुक्रमणिका।

अपील को दो प्रतियों में दी जावे

सूचना चाहने के लिए आवेदन का प्रारूप

(सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 धारा 6 (1) के अन्तर्गत)

प्रेषिति,

लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय ....

....

....

1. आवेदक का पूरा नाम ....
2. पता :– ....

....

3. सूचना की विशिष्टियां

विभाग कार्यालय का नाम, जिससे सूचना संबंधित है:–..........................

सूचना की प्रकृति :– ....

अवधि :–..........................

चाही गई सूचना का विवरण:–..........................

....

....

....

....

4. क्या फीस के देने का सबूत संलग्न कर दिया है ?
   1. आवेदन शुल्क रूपये 10.00 नकद:–..........................
      डी.डी./बैंकर्स चैक नं./ :–..........................
      बैंक का नाम :–..........................
   2. रिकार्ड के निरीक्षण हेतु शुल्क :–..........................
   3. फोटो प्रति शुल्क:– ....
5. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार से है दस रूपये की फीस देय नहीं है।

   बी.पी.एल.क्रमांक संख्या :–..........................

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :–

दिनांक :–

प्रथम व द्वितीय अपील निः शुल्क होती है। प्रथम अपील को डाक प्रेषित करने की रसीद संभाल कर रखनी होती है। द्वितीय अपील के साथ सभी प्रकार के साक्ष लगाने होते हैं। द्वितीय अपील में आवेदन, आवेदन शुल्क की रसीद या बीपीएल होने का प्रमाण-पत्र, प्रथम अपील की प्रति, डाक प्रेषित करने की रसीद सभी को प्रतियों में भेजना होता है। ऑनलाइन सूचना का अधिकार का आवेदन कैसे करें यह इ-मित्र से भी किया जा सकता है तथा एसएसओ आईडी से भी किया जा सकता है। दोनों की प्रक्रिया समान है। प्रथम व द्वितीय अपील भी ऑनलाइन कर सकते हैं।

गूगल पर आरटीआई ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइप कर सर्च करें। लिंक पर क्लिक करें। आवेदन पत्र भरने के निर्देश पढें।

आवेदन पत्र भरने के निर्देश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अनुसार:कोई भी भारतीय नागरिक जो राज्य या देश के अंदर या बाहर रह रहें हैं और इस अधिनियम के तहत किसी भी सूचना को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो वे राज्य लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं यह अनुभाग एक उपयोगकर्ता को उसकी अनुरोध की गई सूचना(आरटीआई आवेदन) को ऑनलाइन प्रस्तुत करने में मदद करता है | फार्म भरने से पहले नीचे उल्लेख किये गए निर्देशों का पालन करें | फार्म प्रस्तुत किये जाने पर , एक ऑनलाइन पावती रसीद के साथ एक ऑनलाइन आवेदन क्रमांक प्रदान किया जाता है जिसे आवेदन शुल्क के भुगतान और आगे की जांच के लिए उपयोग किया जा सकता है । उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है की वे ऑनलाइन पावती रसीद का प्रिंटआउट ले और आगे की कार्यवाही के लिए उसे अपने पास रखें ।

फार्म भरने से पहले निम्न निर्देश पढ़ें:

» सभी आवश्यक चिन्हित फ़ील्ड्स में मांगी गयी जानकारी भरें

» हिंदी फ़ील्ड्स में टाइप करने के लिए देवली फॉण्ट का प्रयोग अनिवार्य है | देवली फॉण्ट डाउनलोड करने के लिए "डाउनलोड हिंदी फॉण्ट" लिंक पर क्लिक करें |

» आवेदन पत्र भरने से पहले यह निश्चित करे कि जीवन / स्वतन्त्रता का प्रमाण, बीपीएल कार्ड, आपकी पहचान प्रमाण फ़ाइल तैयार हो (यदि आवश्यक हो) ।

» अपलोड की जाने वाली फ़ाइल JPG,JPEG और GIF प्रारूप में होनी चाहिए ।

» फ़ाइल अपलोड करने के लिए अधिकतम सीमा 1 MB है ।

» फार्म में व्यक्तिगत जानकारी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में भरी जाएगी।

» यदि सिस्टम हिन्दी फॉन्ट का समर्थन नहीं करता है, तो स्क्रीन के ऊपरी दाहिने कोने पर "डाउनलोड हिन्दी फ़ॉन्ट" लिंक से हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड किया जा सकता है।

» एक बार फार्म प्रस्तुत करते ही एक अद्वितीय आवेदन क्रमांक प्रदान किया जाता है, जिसे आगे की कार्यवाही के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ।

» गरीबी रेखा से नीचे वाले आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है ।

» आरटीआई आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान अनेक माध्यमो से किया जा सकता है जैसे नकद, आईपीओ, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे (ऑनलाइन आवेदन में) आदि ।

» राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन शुल्क की सफल प्राप्ति के बाद इस अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा लागू होगी और बीपीएल आवेदक के मामले में, राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति के बाद इस अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा लागू होगी ।

» राज्य लोक सूचना अधिकारी और आरटीआई आवेदकों को उनके ई - मेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से कार्यवाही के बारे में एसएमएस एवं ईमेल से सूचित किया जाएगा ।

स्क्रीन शॉट 70

स्क्रीन शॉट 71

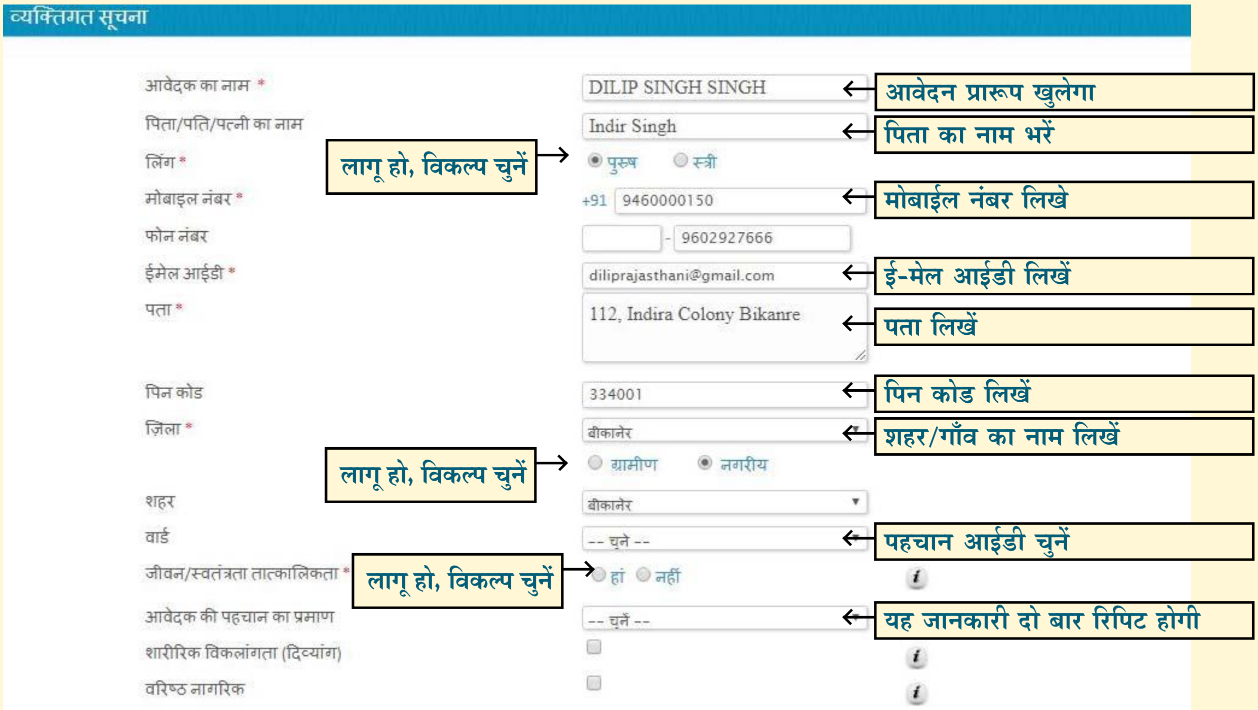

स्क्रीन शॉट 72

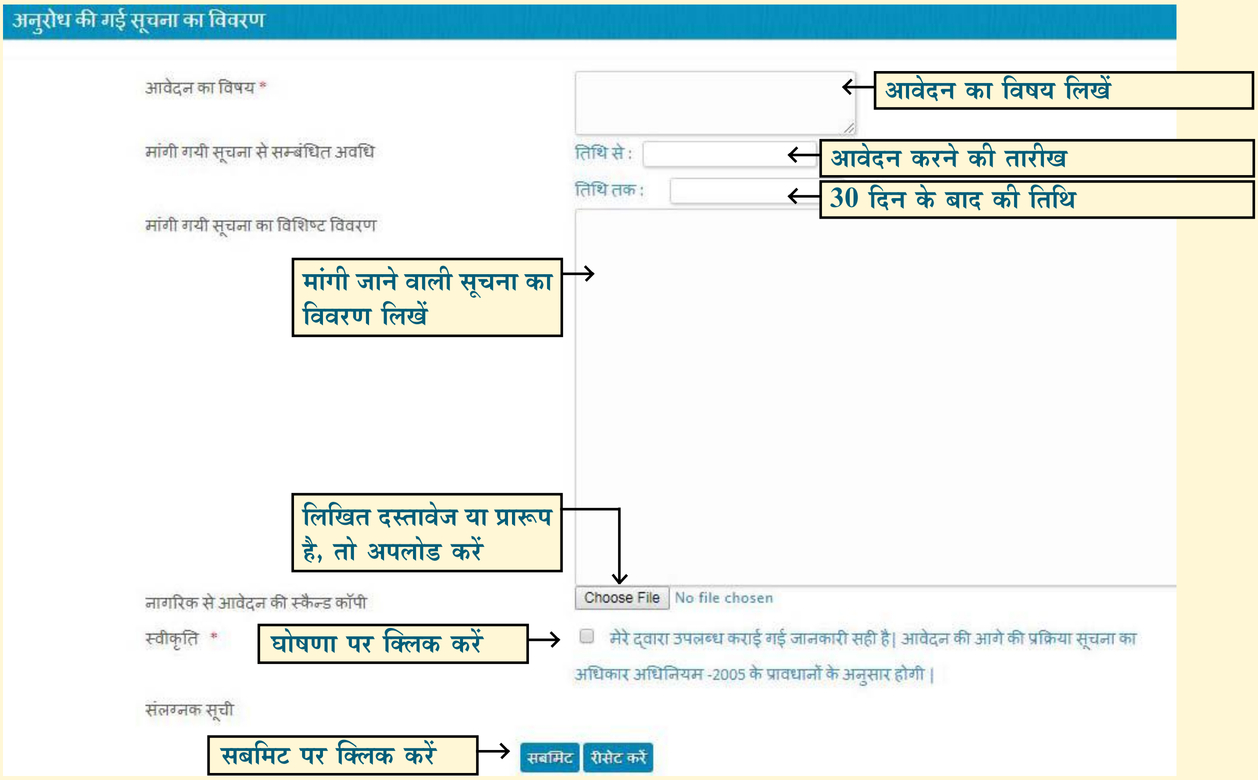

स्क्रीन शॉट 73

फोन पर तथा ई-मेल आईडी लिखा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर का मैसेज आएगा। ■

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: psu_unnati@unnati.org वेबसाइटः www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342014, राजस्थान

फोनः 91-7425858111 email: jodhpur_unnati@unnati.org

इस बुलेटिन के लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।

दीपा सोनपाल, रमेश पटेल : ईमेलः sie@unnati.org, publication@unnati.org

मुद्रकः प्रिन्टविझन, अहमदाबाद

केवल सीमित वितरण के लिए

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करवायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।